THE CORE IAS

UPSC-CSE 2023-2024 के लिए उपयोगी

पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

जुलाई-2024

www.thecoreias.com
/thecoreias /thecoreias /iascore /thecoreias /thecoreias

विषय सूची

I. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (1-3)

II. रक्षा (41)

III. अर्थव्यवस्था (5-6)

IV. पर्यावरण (7-12)

V. इतिहास (13-14)

VI. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय (15-17)

VII. योजना (18-48)

VIII. रिपोर्ट एवं सूचकांक (49-50)

IX. मुख्य परीक्षा के लिए (51)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 'सागर संपर्क' विभेदक वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली

विभेदक वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली एक स्थलीय आधारित संवर्द्धन प्रणाली है जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में त्रुटियों और अशुद्धियों को ठीक करती है जिससे अधिक सटीक स्थिति की जानकारी मिलती है। **DGLL के तहत 06 स्थानों पर 'सागर संपर्क - डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (DGNSS)' का शुभारंभ किया गया, जिससे समुद्री नेविगेशन में रेडियो सहायता के क्षेत्र में DGLL की क्षमता में वृद्धि होगी।' DGNSS सेवा नाविकों को सुरक्षित नेविगेशन में मदद करेगी और बंदरगाह और बंदरगाह क्षेत्रों में टकराव, ग्राउंडिंग और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करेगी।** इससे जहाजों की सुरक्षित और कुशल आवाजाही हो सकेगी। डीजीएनएसएस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ),समुद्र में जीवन की सुरक्षा (एसओएलएएस) और नेविगेशन और लाइटहाउस अथॉरिटीज (आईएएलए) के लिए समुद्री सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने की दिशा में नेविगेशन के लिए एक महत्वपूर्ण रेडियो सहायता है।

जीपीएस और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (ग्लोनास) जैसे कई उपग्रह समूहों के साथ पुनर्पूंजीकरण के बाद, डीजीएनएसएस अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार उपलब्धता और अतिरेक को और बढ़ाता है और नाविकों को 5 मीटर के भीतर अपनी स्थिति में सुधार करने में मदद करता है।

नवीनतम डीजीएनएसएस प्रणाली अब जीपीएस और ग्लोनास के सुधार प्रसारित करने में सक्षम है। डीजीएनएसएस वायुमंडलीय अनुमान, उपग्रह घड़ी बहाव और अन्य कारकों के कारण होने वाली त्रुटियों को कम करते हुए, जीपीएस स्थिति की सटीकता में काफी सुधार करता है। यह आधुनिक प्रौद्योगिकी रिसीवरों और नवीनतम सॉफ्टवेयर की मदद से हासिल किया गया है। **भारतीय तटरेखाओं से 100 समुद्री मील के लिए त्रुटि सुधार सटीकता को 5 से 10 मीटर से बढ़ाकर 5 मीटर से भी कम कर दिया गया है।**

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 की मुख्य विशेषताएं

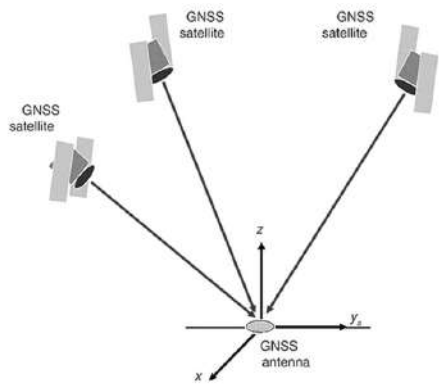

विधेयक डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए इस तरीके से प्रावधान करता है जो व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकारों और वैध उद्देश्यों के लिए और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए ऐसे व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता दोनों को पहचानता है।

1. विधेयक निम्नलिखित प्रावधान करके डिजिटल व्यक्तिगत डेटा (अर्थात वह डेटा जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है) की सुरक्षा करता है:

(a) डेटा प्रसंस्करण (अर्थात, व्यक्तिगत डेटा पर संग्रह, भंडारण या कोई अन्य संचालन) के लिए डेटा फिडुशियरी (अर्थात, डेटा संसाधित करने वाले व्यक्ति, कंपनियां और सरकारी संस्थाएं) के दायित्व;

(b) डेटा प्राथमिक व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य (अर्थात, वह व्यक्ति जिससे डेटा संबंधित है);और

(c) अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के उल्लंघन के लिए वित्तीय दंड।

विधेयक निम्नलिखित लक्ष्य भी हासिल करना चाहता है:

(a) डेटा फिडुशियरीज (प्रत्ययी) द्वारा डेटा संसाधित करने के तरीके में आवश्यक परिवर्तन सुनिश्चित करते हुए न्यूनतम व्यवधान के साथ डेटा सुरक्षा कानून लागू करना;

(b) जीवन जीने में आसानी और व्यापार करने में आसानी बढ़ाना; और

(c) भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और इसके नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करना।

2. यह विधेयक निम्नलिखित सात सिद्धांतों पर आधारित है:

(a) व्यक्तिगत डेटा के सहमतिपूर्ण, वैध और पारदर्शी उपयोग का सिद्धांत;

(b) उद्देश्य सीमा का सिद्धांत (व्यक्तिगत डेटा का उपयोग केवल डेटा प्राथमिक व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के समय निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए);

(c) डेटा न्यूनीकरण का सिद्धांत (केवल उतना ही व्यक्तिगत डेटा एकत्र करना जितना निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है);

(d) डेटा सटीकता का सिद्धांत (सुनिश्चित करना कि डेटा सही और अद्यतन है);

(e) भंडारण सीमा का सिद्धांत (डेटा को केवल तब तक संग्रहीत करना जब तक कि निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता हो);

(f) उचित सुरक्षा उपायों का सिद्धांत; और

(g) जवाबदेही का सिद्धांत (डेटा उल्लंघनों और विधेयक के प्रावधानों के उल्लंघनों के निर्णय और उल्लंघनों के लिए दंड लगाने के माध्यम से)।

3. विधेयक में कुछ अन्य नवीन विशेषताएं हैं:

यह विधेयक संक्षिप्त और सरल है, यानी सरल, सुलभ, तर्कसंगत और कार्रवाई योग्य कानून है-

(a) सरल भाषा का प्रयोग करता है;

(b) इसमें ऐसे चित्र शामिल हैं जो अर्थ को स्पष्ट करते हैं;

(c) इसमें कोई प्रावधान नहीं है ("बशर्ते कि..."); और

(d) इसमें न्यूनतम क्रॉस-रेफरेंसिंग है।

4. "he" के स्थान पर "she" शब्द का उपयोग करके, यह पहली बार संसदीय कानून-निर्माण में महिलाओं को स्वीकार करता है।

5. विधेयक व्यक्तियों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है:

(a) संसाधित व्यक्तिगत डेटा के बारे में जानकारी तक पहुंचने का अधिकार;

(b) डेटा को सुधारने और मिटाने का अधिकार;

(c) शिकायत निवारण का अधिकार; और

(d) मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में अधिकारों का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को नामांकित करने का अधिकार।

अपने अधिकारों को लागू करने के लिए, एक प्रभावित डेटा प्राथमिक व्यक्ति पहली बार में डेटा फिडुशियरी से संपर्क कर सकता है। यदि वह संतुष्ट नहीं है, तो वह डेटा फिडुशियरी के खिलाफ डेटा सुरक्षा बोर्ड में परेशानी मुक्त तरीके से शिकायत कर सकता है।

6. विधेयक डेटा प्रत्ययी पर निम्नलिखित दायित्वों का प्रावधान करता है:

(a) व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय करना;

(b) प्रभावित डेटा प्राथमिक व्यक्ति और डेटा सुरक्षा बोर्ड को व्यक्तिगत डेटा उल्लंघनों की सूचना देना;

(c) व्यक्तिगत डेटा को तब मिटाना जब निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता न रह जाए;

(d) सहमति वापस लेने पर व्यक्तिगत डेटा मिटाने के लिए;

(e) शिकायत निवारण प्रणाली और डेटा प्राथमिक व्यक्तियों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक अधिकारी की व्यवस्था करना; और

(f) महत्वपूर्ण डेटा फिडुशियरीज के रूप में अधिसूचित डेटा फिड्यूशियरी के संबंध में कुछ अतिरिक्त दायित्वों को पूरा करना, जैसे डेटा ऑडिटर की नियुक्ति करना और डेटा सुरक्षा के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर डेटा सुरक्षा प्रभाव आकलन करना।

7. बिल बच्चों के निजी डेटा की भी सुरक्षा करता है.

(a) विधेयक डेटा फिडुशियरी को केवल माता-पिता की सहमति से बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की अनुमति देता है।

(b) विधेयक ऐसे प्रसंस्करण की अनुमति नहीं देता है जो बच्चों की भलाई के लिए हानिकारक हो या जिसमें उनकी ट्रैकिंग, व्यवहार संबंधी निगरानी या लक्षित विज्ञापन शामिल हो।

8. विधेयक में दी गई छूट इस प्रकार हैं:

(a) सुरक्षा, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था आदि के हित में अधिसूचित एजेंसियों के लिए;

(b) अनुसंधान, संग्रहण या सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए;

(c) स्टार्टअप्स या डेटा फिडुशियरीज की अन्य अधिसूचित श्रेणियों के लिए;

(d) कानूनी अधिकारों और दावों को लागू करना;

(e) न्यायिक या विनियामक कार्य करने के लिए;

(f) अपराधों को रोकने, पता लगाने, जांच करने या मुकदमा चलाने के लिए;

(g) विदेशी अनुबंध के तहत गैर-निवासियों के व्यक्तिगत डेटा को भारत में संसाधित करना;

(h) अनुमोदित विलय, डिमर्जर आदि के लिए; और

(i) चूककर्ताओं और उनकी वित्तीय संपत्तियों आदि का पता लगाना।

9. बोर्ड के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

(a) डेटा उल्लंघनों को सुधारने या कम करने के लिए निर्देश देना;

(b) डेटा उल्लंघनों और शिकायतों की जांच करना और वित्तीय दंड लगाना;

(c) वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए शिकायतों को संदर्भित करना और डेटा फिडुशियरीज से स्वैच्छिक उपक्रम स्वीकार करना; और

(d) सरकार को उस डेटा फिडुशियरी की वेबसाइट, ऐप आदि को ब्लॉक करने की सलाह देना जो बार-बार विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है।

***

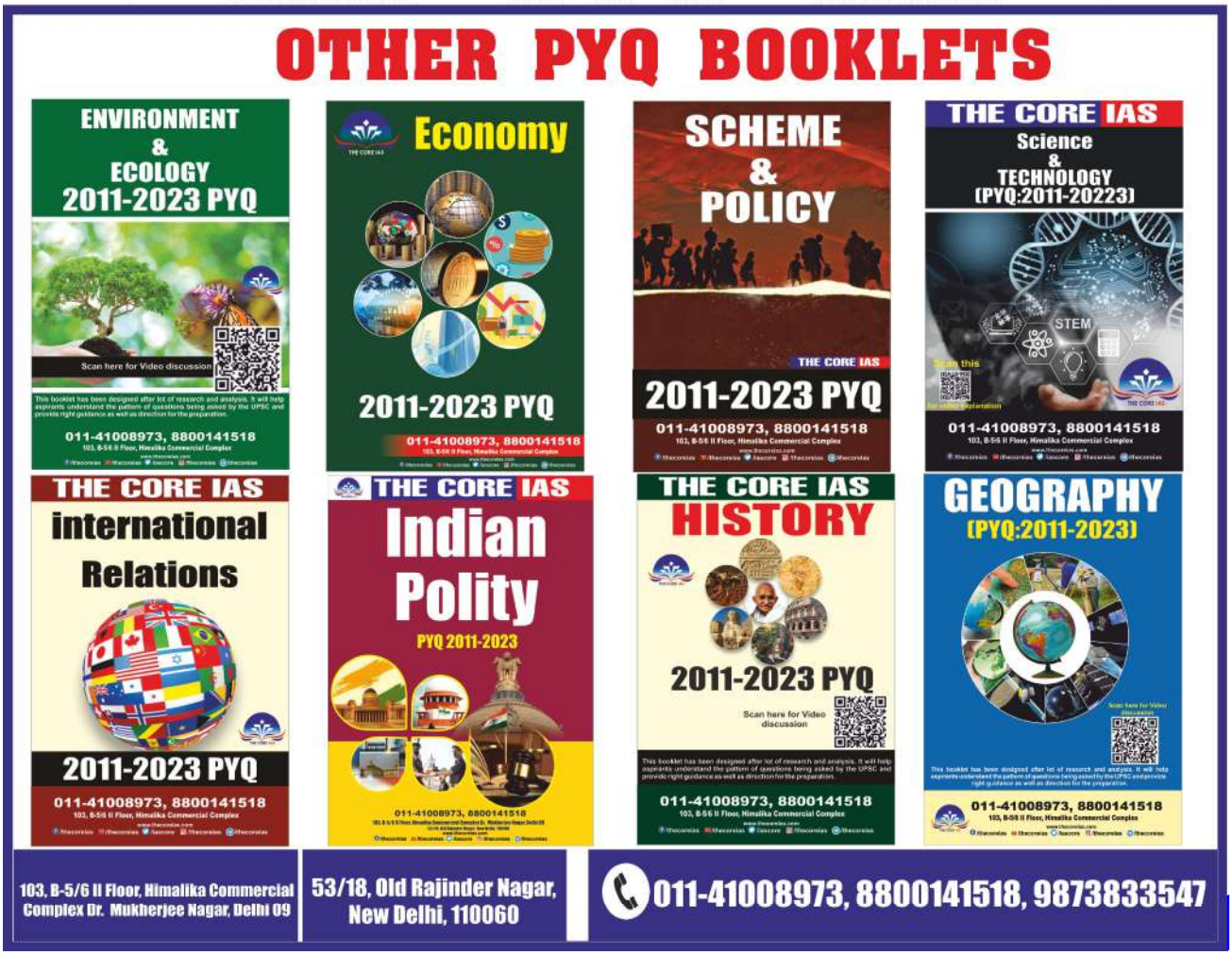

सागर निधि

हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव (सीएससी) के ढांचे के तहत समुद्री सहयोग से संबंधित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में, बांग्लादेश और मॉरीशस के वैज्ञानिक लगभग **35 दिनों के संयुक्त महासागर** अभियान में भाग लेने के लिए भारत के अनुसंधान पोत 'सागर निधि' पर सवार हुए।

इस क्रूज का संचालन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र **(INCOIS)** द्वारा किया जाता है। **यह नवंबर 2022 में गोवा और हैदराबाद में आयोजित प्रथम सीएससी समुद्र विज्ञानी और हाइड्रोग्राफर्स सम्मेलन का परिणाम है।**

अभियान के दौरान, वैज्ञानिक समुद्री पर्यावरण में परिवर्तन और समुद्री मापदंडों में भिन्नता की भविष्यवाणी और प्रबंधन करने के लिए समुद्री डेटा पर सहयोगात्मक रूप से अनुसंधान करेंगे।

जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 (श्रप्डम 23)

भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय जापान-भारत समुद्री अभ्यास 2023 (JIMEX 23) का सातवां संस्करण 05 -10 जुलाई 2023 तक विशाखापत्तनम में/बाहर आयोजित किया जा रहा है। यह संस्करण 2012 में अपनी स्थापना के बाद से **JIMEX की 11वीं वर्षगांठ** का प्रतीक है।

नोमैडिक एलीफैंट

नोमैडिक एलीफैंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो वैकल्पिक रूप से मंगोलिया और भारत में आयोजित किया जाता है।

***

संशोधित फसल अवशेष प्रबंधन दिशानिर्देश

संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, धान के भूसे की आपूर्ति श्रृंखला के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक पायलट परियोजनाएं लाभार्थी/एग्रीगेटर (किसान, ग्रामीण उद्यमी, किसानों की सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और पंचायतें) और **धान के भूसे का उपयोग करने वाले उद्योगों के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत स्थापित की जाएंगी।**

सरकार मशीनरी और उपकरणों की पूंजीगत लागत पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आवश्यक कार्यशील पूंजी को या तो उद्योग और लाभार्थी द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया जा सकता है या लाभार्थी द्वारा कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ), नाबार्ड वित्तीय या वित्तीय संस्थानों से वित्तपोषण का उपयोग किया जा सकता है। एकत्रित धान के भूसे के भंडारण के लिए भूमि की व्यवस्था और तैयारी लाभार्थी द्वारा की जाएगी जैसा कि अंतिम उपयोग उद्योग द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

उच्च एचपी ट्रैक्टर, कटर, टेडर, मध्यम से बड़े बेलर, रेकर, लोडर, ग्रैबर्स और टेलीहैंडलर जैसी मशीनों और उपकरणों के लिए परियोजना प्रस्ताव आधारित वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो अनिवार्य रूप से धान के भूसे की आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना के लिए आवश्यक हैं।

राज्य सरकारें परियोजना मंजूरी समिति के माध्यम से इन परियोजनाओं को मंजूरी देंगी।

सरकार (केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से) परियोजना लागत का 65% वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, परियोजना के प्राथमिक प्रमोटर के रूप में उद्योग 25% का योगदान देगा और एकत्र किए गए फीडस्टॉक के प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में कार्य करेगा और किसान या किसानों का समूह या ग्रामीण उद्यमी या किसानों की सहकारी समितियाँ या किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), **या पंचायतें परियोजना की प्रत्यक्ष लाभार्थी होंगी और शेष 10% का योगदान करेंगी।**

उपरोक्त हस्तक्षेपों के परिणाम हैं:

- यह पहल स्व-स्थाने विकल्पों के माध्यम से धान के भूसे प्रबंधन के प्रयासों को पूरक बनाएगी
- **हस्तक्षेप के तीन साल के कार्यकाल के दौरान, 1.5 मिलियन** मीट्रिक टन अधिशेष धान का भूसा एकत्र होने की उम्मीद है जिसे अन्यथा खेतों में जला दिया जाता।
- **पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में 4500 मीट्रिक टन क्षमता के लगभग 333 बायोमास संग्रह डिपो बनाए जाएंगे।**
- पराली जलाने से होने वाला वायु प्रदूषण काफी कम हो जाएगा।
- **इससे लगभग 9,00,000 मानव दिवस रोजगार के अवसर पैदा होंगे।**
- इन हस्तक्षेपों से धान के भूसे की एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा जो बिजली/जैव-सीएनजी/जैव-इथेनॉल उत्पादकों द्वारा विभिन्न अंतिम उपयोगों यानी बिजली उत्पादन, गर्मी उत्पादन, जैव-सीएनजी इत्यादि के लिए धान के भूसे को उपलब्ध कराने में मदद करेगा।
- सप्लाई चेन स्थापित होने से बायोमास से लेकर बायोफ्यूल और ऊर्जा क्षेत्रों में नया निवेश आएगा।

डिजिटल कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाने के लिए डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क

डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ONDC) DPIIT की पहल के तहत एक सेक्शन 8 कंपनी है, जिसका मिशन डिजिटल कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाना है। ONDC, ONDC प्रोटोकॉल का विकास और रखरखाव करता है, जो UPI, HTTP और SMTP के समान एक खुला तकनीकी मानक है। कोई भी दो प्लेटफॉर्म जो ONDC प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हैं, एक-दूसरे के सिस्टम के साथ विशेष रूप से एकीकृत किए बिना इंटर-ऑपरेट कर सकते हैं। ONDC प्रोटोकॉल अनुरूप अनुप्रयोग मिलकर ONDC नेटवर्क का निर्माण करते हैं। जिस तरह यूपीआई पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंकों और भुगतान प्लेटफार्मों की अंतरसंचालनीयता को सक्षम बनाता है, या SMTP लोगों को इस बात की चिंता किए बिना ईमेल का आदान-प्रदान करने की अनुमति देता है कि प्राप्तकर्ता किस ईमेल सेवा का उपयोग करता है, ओएनडीसी प्रोटोकॉल खरीदारों और विक्रेताओं को वस्तुओं या सेवाओं का व्यापार करने की अनुमति देता है, चाहे वे किसी भी प्लेटफॉर्म का उपयोग करें, जब तक प्लेटफॉर्म ओएनडीसी नेटवर्क का हिस्सा हैं।

ओएनडीसी नेटवर्क के लाभों में डिजिटल कॉमर्स में कम प्रवेश-बाधाएं, सभी ई-कॉमर्स मॉडल के लिए समान अवसर प्रदान करना और नए बिजनेस मॉडल और अवसरों की अनुमति देने के लिए ई-कॉमर्स लेनदेन के विभिन्न चरणों को खोलना शामिल है। इसलिए, ओएनडीसी डिजिटल कॉमर्स का विस्तार सुनिश्चित करता है, जिससे यह अधिक समावेशी हो जाता है।

ओएनडीसी को अपनाने में चुनौतियाँ यह हैं कि ओएनडीसी नेटवर्क पहली बार ऑनलाइन व्यवसायों को ऑनलाइन जाने में सक्षम बना रहा है, और इसलिए यह परिवर्तन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालाँकि, ओएनडीसी इस परिवर्तन को सुचारू और परेशानी मुक्त बनाने के लिए सहायता और क्षमता निर्माण पहल के लिए सिस्टम प्रदान कर रहा है।

ओएनडीसी अपने डिजाइन के साथ-साथ परिचालन प्रथाओं के माध्यम से पारदर्शिता, विश्वास और दक्षता को बढ़ावा देता है, जिसमें स्वतंत्र और ओपन-सोर्स मानक और सिस्टम, डिजाइन द्वारा विकेंद्रीकरण और गोपनीयता, भागीदारी दृष्टिकोण और पारदर्शिता, समान खेल का मैदान, स्पष्ट ऑडिट ट्रेल और खरीदार और विक्रेता के अधिकारों की सुरक्षा शामिल है।

ओएनडीसी नेटवर्क खुले विनिर्देशों अर्थात् ओएनडीसी प्रोटोकॉल पर आधारित है। इस प्रकार, कोई भी दो प्लेटफॉर्म जो ओएनडीसी प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हैं, संदेशों और प्रक्रियाओं को संभालने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म की विशिष्ट भाषा सीखे बिना एक-दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं।

यह ओएनडीसी रजिस्ट्री के माध्यम से हासिल किया गया है। रजिस्ट्री एक फोनबुक की तरह है जिसका उपयोग कोई अन्य ओएनडीसी प्रोटोकॉल-अनुरूप प्लेटफार्मों को खोजने के लिए कर सकता है। प्रोटोकॉल के अनुपालन के प्रमाणीकरण और भागीदारी के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद सभी पंजीकृत प्लेटफार्मों का विवरण रजिस्ट्री में है।

प्रोटोकॉल और रजिस्ट्री मिलकर ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों का एक संग्रह बनाते हैं जो एक-दूसरे को खोज सकते हैं, जुड़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। ओएनडीसी नेटवर्क में कई खरीदार एप्लिकेशन और विक्रेता एप्लिकेशन शामिल हैं जो एक दूसरे के साथ निर्बाध रूप से काम करते हैं। इस खुले नेटवर्क के साथ, खरीदार अपनी पसंद के एकल खरीदार एप्लिकेशन के माध्यम से, किसी भी विक्रेता एप्लिकेशन का उपयोग करके विक्रेताओं से उत्पादों/सेवाओं की खोज और खरीद कर सकते हैं।

***

THE CORE IAS

हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICGH 2023)

- **नई दिल्ली में आयोजित**
- सम्मेलन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि हम हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र कैसे स्थापित कर सकते हैं और हरित हाइड्रोजन के माध्यम से विकार्बनीकरण के वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक प्रणालीगत दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकते हैं। **हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण, वितरण और डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों पर डोमेन-विशिष्ट अनुसंधान पर विचार-विमर्श के अलावा, सम्मेलन इस क्षेत्र में हरित वित्तपोषण, मानव संसाधन अपस्किलिंग और स्टार्टअप पहल पर भी चर्चा करेगा। यह सम्मेलन इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को** साझा करने और सीखने में सक्षम बनाएगा।
- कौशल विकास और रोजगार के संबंध में, तेजी से विकसित हो रहे हरित हाइड्रोजन क्षेत्र की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा ऊर्जा कर्मियों को उन्नत और पुनः कुशल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। **विशेष पाठ्यक्रम और कौशल कार्यक्रम डिजाइन करने के लिए अकादमिक संघों, निजी विश्वविद्यालयों और भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन (आईईएसए) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) जैसे संगठनों द्वारा प्रयास चल रहे हैं।** कौशल विकास और शिक्षा मंत्रालय हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पहलुओं में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की नीति पर भी काम कर रहा है।
- **भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, जिसमें 70% निर्यात के लिए और शेष 30% घरेलू खपत के लिए निर्धारित है। हरित हाइड्रोजन अनुप्रयोगों के लिए उर्वरक, रिफाइनरी, लंबी दूरी की गतिशीलता (स्टील, शिपिंग और लंबी दूरी के परिवहन जैसे उद्योगों में पहले से ही पायलट प्रोजेक्ट के साथ) सहित पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है।**

तलछट लगभग 8664 वर्ष पूर्व कास पठार पर जलवायु और पर्यावरणीय परिवर्तनों की व्याख्या करते हैं

महाराष्ट्र के सतारा जिले में कास पठार में एक मौसमी झील से तलछट के एक नए अध्ययन ने लगभग 8664 वर्ष पूर्व के भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून में प्रारंभिक-मध्य-होलोसीन के दौरान कम वर्षा के साथ शुष्क और तनावग्रस्त स्थितियों की ओर एक बड़े बदलाव का संकेत दिया है। **8000 वर्ष पुराने अवसादों ने जलवायु संकेतों को समझने में मदद की, जिससे होलोसीन के अंत (लगभग 2827 वर्ष पूर्व) के दौरान अपेक्षाकृत कम वर्षा और कमजोर दक्षिण-पश्चिम मानसून का संकेत मिला।**

अध्ययन के अवलोकनों से पता चला कि मौसमी झील संभवतः भूपर्पटी के ऊपर विकसित एक पेडिमेंट (चट्टान के मलबे) पर क्षरण स्थानीयकृत उथले अवसाद का एक उत्पाद है। जैसा कि यूनेस्को ने उल्लेख किया है, वर्तमान "फ्लावर वंडर" एक झील पर स्थित है जो प्रारंभिक-मध्य-होलोसीन काल की है, जिसका अर्थ है कि यह एक प्राचीन झील है जिसे लंबे समय से संरक्षित किया गया है।

आश्चर्य की बात यह है कि इस बीच डायटम की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह उस समय के दौरान भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून गतिविधि में एक बड़े बदलाव का सुझाव देता है, जिसके परिणामस्वरूप शुष्क अवधि के बीच रुक-रुक कर आर्द्र अवधि हो सकती है।

वैज्ञानिकों की टिप्पणियों से पता चला कि होलोसीन के अंत (लगभग 2827 वर्ष पूर्व) के दौरान वर्षा में कमी और दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर हो गया था।

ताप सूचकांक

ताप सूचकांक उच्च तापमान पर आर्द्रता के प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करता है और इस प्रकार मनुष्यों के लिए तापमान जैसा अनुभव प्रदान करता है जिसका उपयोग मानव असुविधा के संकेत के रूप में किया जा सकता है। यह असुविधा को कम करने के लिए लोगों द्वारा की जाने वाली अतिरिक्त देखभाल के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है।

प्रायोगिक ऊष्मा सूचकांक के लिए प्रयुक्त रंग कूट इस प्रकार हैं:

- **हरा:** - प्रायोगिक ताप सूचकांक 35 डिग्री सेल्सियस से कम
- **पीला:** - प्रायोगिक ताप सूचकांक 36-45 डिग्री सेल्सियस की सीमा में
- **नारंगी:** - प्रायोगिक ताप सूचकांक 46-55 डिग्री सेल्सियस की सीमा में
- **लाल:** - प्रायोगिक ताप सूचकांक 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक

देश में वन कवरेज

भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, मंत्रालय के तहत एक संगठन, 1987 से द्विवार्षिक रूप से वन क्षेत्र का मूल्यांकन करता है और निष्कर्ष भारत राज्य वन रिपोर्ट (ISFR) में प्रकाशित किए जाते हैं।

नवीनतम ISFR 2021 के अनुसार, देश का कुल वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। ISFR 2019 और ISFR 2021 मूल्यांकन के बीच वन क्षेत्र में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

देश में वन आवरण की सुरक्षा और सुधार के लिए, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा वनीकरण और वृक्षारोपण गतिविधियाँ शुरू की जाती हैं। मंत्रालय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों को समर्थन और **पूरक करने के लिए विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं अर्थात् ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम) के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ग्रीन इंडिया मिशन गतिविधियाँ वित्तीय वर्ष 2015-16 में** शुरू की गई।

मंत्रालय ने देश में बिगड़े वनों और आसपास के क्षेत्रों के पुनर्जीवन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम भी लागू किया है। राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम का अब हरित भारत मिशन में विलय हो गया है।

मंत्रालय वर्ष 2020 से नगर वन योजना (एनवीवाई) लागू कर रहा है, जिसमें प्रतिपूरक वनरोपण निधि (सीएएमपीए) के तहत उपलब्ध धनराशि के तहत 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान देश में 600 नगर वैन और 400 नगर वाटिका के निर्माण की परिकल्पना की गई है। नगर वन योजना का उद्देश्य शहरी और उप-शहरी क्षेत्रों में जैविक विविधता सहित हरित आवरण को बढ़ाना, पारिस्थितिक लाभ प्रदान करना और शहरवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (सीएएफ अधिनियम) और सीएएफ नियम, 2018 के तहत प्रतिपूरक वनरोपण निधि (CAMPA फंड) का उपयोग राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के प्रावधानों के अनुसार विकासात्मक परियोजनाओं के लिए वन भूमि के विचलन के कारण वन और वृक्ष आवरण के नुकसान की भरपाई के लिए अनुमोदित वार्षिक संचालन योजना के अनुसार प्रतिपूरक वनरोपण करने के लिए किया जा रहा है।

संबंधित मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय बांस मिशन, कृषि वानिकी पर उप-मिशन आदि के तहत और विभिन्न विभागों, गैर-राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की योजनाओं के तहत भी वनीकरण गतिविधियां शुरू की जाती हैं। सरकारी संगठन, नागरिक समाज, कॉर्पोरेट निकाय आदि बहुविभागीय प्रयासों से देश में वन आवरण के संरक्षण और वृद्धि में अच्छे परिणाम मिले हैं।

मंत्रालय जंगल की आग से निपटने के लिए विभिन्न कदम उठाता है। मंत्रालय विभिन्न वन अग्नि रोकथाम और प्रबंधन उपायों जैसे आग बुझाने के लिए आधुनिक उपकरण, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, आदि के निर्माण और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके जंगल की आग की रोकथाम और

नियंत्रण में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों का समर्थन करता है। वन क्षेत्रों में अग्नि लाइनें, अग्नि निगरानीकर्ताओं की नियुक्ति, वन क्षेत्रों में जल भंडारण संरचनाओं का निर्माण, वन बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, अग्निशमन उपकरणों की खरीद, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मिट्टी और नमी संरक्षण कार्य, जागरूकता सृजन, केंद्र प्रायोजित वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना के तहत जंगल की आग से गांवों/समुदायों को सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित करना।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नदियों की जल गुणवत्ता का विश्लेषण

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) देश भर में फैले 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 4484 स्थानों पर जलीय संसाधनों की गुणवत्ता की निगरानी करता है।

वर्ष 2019 और 2021 के लिए 1920 स्थानों पर 603 नदियों के जल गुणवत्ता डेटा के विश्लेषण के आधार पर, सीपीसीबी ने वर्ष 2022 में जैविक प्रदूषण यानी जैव-रासायनिक संकेतकों के आधार पर देश के 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 279 नदियों पर 311 प्रदूषित नदी खंडों की पहचान की है।

मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्ष थे:

- **1920 में से 1103 स्थान (57%) जैव ऑक्सीजन मांग मानदंडों का अनुपालन कर** रहे थे
- जैव ऑक्सीजन मांग मानदंडों का अनुपालन करते **हुए 324 नदियों पर सभी स्थानों की निगरानी की गई**
- **279 नदियों पर 817 नदी स्थान 3 मिलीग्राम/लीटर** के जैव ऑक्सीजन मांग स्तर से अधिक थे

सीपीसीबी द्वारा किए गए पिछले मूल्यांकन के साथ वर्तमान मूल्यांकन का तुलनात्मक मूल्यांकन इंगित करता है कि प्रदूषित नदी खंडों की संख्या 351 (वर्ष 2018) से घटकर 311 (वर्ष 2022) हो गई है।

पिछले कुछ वर्षों में पानी की गुणवत्ता के आकलन से पता चला है कि वर्ष 2015 में, निगरानी की गई नदियों में से 70% (390 में से 275) को प्रदूषित के रूप में पहचाना गया था, जबकि वर्ष 2022 में, निगरानी की गई नदियों में से केवल 46% (603 में से 279) को प्रदूषित के रूप में पहचाना गया था।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में 13 प्रमुख नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, लूनी, यमुना, महानदी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी के कायाकल्प के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जारी की है। , भारतीय वानिकी, अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून द्वारा तैयार वानिकी हस्तक्षेप के माध्यम से कृष्णा और कावेरी। कार्यक्रम के हस्तक्षेपों में रोजगार पैदा करने के अलावा, हरित आवरण और कार्बन सिंक को बढ़ाने, गाद भार और बाढ़ को कम करने और भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने आदि के लिए जलग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण, मिट्टी और नमी संरक्षण कार्य और नदी के किनारे का विकास शामिल है।

इन तेरह विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में प्रस्तावित हस्तक्षेप 4 प्रमुख घटकों के अंतर्गत है, जैसे (ए) वानिकी हस्तक्षेपों का कार्यान्वयन, (बी) ज्ञान प्रबंधन और राष्ट्रीय क्षमता विकास को मजबूत करना, (सी) सफल मॉडलों की स्केलिंग और प्रतिकृति सहित रखरखाव चरण, और (डी) वानिकी हस्तक्षेप और नदी संरक्षण के लिए राष्ट्रीय समन्वय।

इसके अलावा, **MoEF-CC वर्तमा**न में केंद्र सरकार और संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के बीच लागत साझाकरण के आधार पर देश में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना, अर्थात् जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना **(NPCA) लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जैव विविधता और पारिस्थि**तिकी तंत्र में सुधार के अलावा वांछित जल गुणवत्ता वृद्धि प्राप्त करने के लिए आर्द्रभूमि का समग्र संरक्षण और बहाली करना है। इसका उद्देश्य एकीकृत प्रबंधन योजनाओं, क्षमता विकास और अनुसंधान के निर्माण और कार्यान्वयन का समर्थन करके राज्यों के साथ विकासात्मक प्रोग्रामिंग में आर्द्रभूमि की मुख्यधारा को बढ़ावा देना है। कवर की गई विभिन्न गतिविधियों में अपशिष्ट जल का अवरोधन, मोड़ और उपचार, तटरेखा संरक्षण, झील के सामने का विकास, स्व-स्थाने सफाई यानी डी-सिल्टिंग और डी-वीडिंग शामिल हैं।

ई-अपशिष्ट प्रबंधन

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के तहत अनिवार्य रूप से उत्पादकों द्वारा प्रदान किए गए देशव्यापी बिक्री डेटा और अधिसूचित विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ईईई) के औसत जीवन के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर ई-कचरा उत्पादन का अनुमान लगाता है।

मंत्रालय ने नियमों के पिछले समूह को व्यापक रूप से संशोधित किया है और नवंबर, 2022 में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, **2022 को अधिसूचित किया है और इसे 1 अप्रैल, 2023 से लागू किया गया है। इन नए नियमों का उद्देश्य ई-कचरे को पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ तरीके से प्रबंधित करना है। और ई-कचरा पुनर्चक्रण के लिए एक बेहतर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) व्यवस्था लागू की गई, जिसमें सभी निर्माता, उत्पादक, नवीनीकरणकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ताओं को सीपीसीबी द्वारा विकसित पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है।** नए प्रावधान व्यवसाय करने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र की ओर सुविधाजनक बनाएंगे और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से ई-कचरे का पुनर्चक्रण सुनिश्चित करेंगे। पर्यावरण क्षतिपूर्ति और सत्यापन एवं लेखापरीक्षा के प्रावधान भी पेश किए गए हैं। ये नियम ईपीआर व्यवस्था और ई-कचरे के वैज्ञानिक पुनर्चक्रण/निपटान के माध्यम से सर्कुलर इकोनॉमी को भी बढ़ावा देते हैं।

देश भर में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमों को लागू करने के लिए एक कार्य योजना लागू है और इसे सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ई-कचरा कार्य योजना की स्थिति और प्रगति अपलोड करने के लिए एक ई-कचरा प्रबंधन समीक्षा पोर्टल भी विकसित किया गया है।

जलवायु परिवर्तन प्रभाव आकलन

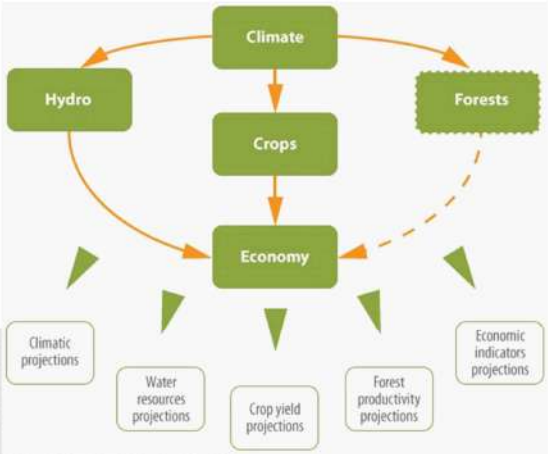

जलवायु परिवर्तन एक जटिल मुद्दा है जो विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीन संस्थानों तक फैला हुआ है। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों पर अध्ययन मुख्य रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), कृषि और किसान कल्याण, और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा प्रायोजित है। इसके अलावा, बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय और सरकारी अनुसंधान संस्थान जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) द्वारा कृषि, जल संसाधन, मानव स्वास्थ्य, बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा, परिवहन, शहरी इत्यादि जैसे क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रीय पहलुओं का भी अध्ययन किया जाता है।

भारत सरकार अपने विभिन्न संगठनों जैसे वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च (एनसीपीओआर), जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो), जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट, सेंट्रल वॉटर के माध्यम से आयोग और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान हिमालय के ग्लेशियरों में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी के लिए नियमित वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। MoEFCC और इसरो द्वारा किए गए ऐसे ही एक अध्ययन में वर्ष 2000 से 2011 के बीच 2,018 ग्लेशियरों की निगरानी की गई, जिससे पता चला कि 87% ग्लेशियरों में कोई बदलाव नहीं हुआ, 12% पीछे हट गए और 1% ग्लेशियर आगे बढ़ गए।

जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियरों पर इसका प्रभाव एक वैश्विक चुनौती बनी हुई है जिसके लिए वैश्विक प्रयासों और कार्यों की आवश्यकता है। भारत सरकार ग्लेशियरों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और कई अनुकूलन और शमन उपायों के माध्यम से प्रभाव को कम करने के प्रयास किए हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत कई कार्यक्रम शामिल हैं। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन के तहत हिमालयी ग्लेशियरों के अध्ययन के लिए विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का समर्थन किया जा रहा है। हिमालयी राज्यों के कई क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान या संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है, जैसे, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान।

भारत में बाढ़ के बढ़ते प्रकोप के लिए जलवायु परिवर्तन के लिए कोई निश्चित कारण बताने वाला कोई स्थापित अध्ययन नहीं है। जबकि कई अध्ययन बाढ़, सूखा और गर्मी जैसी आपदाओं की निगरानी करते हैं, इन परिवर्तनों के लिए विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराने का विज्ञान कहीं अधिक जटिल है और वर्तमान में एक विकसित विषय है। अब तक के अधिकांश अध्ययन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के गणितीय मॉडलिंग पर निर्भर रहे हैं लेकिन ये अनुभवजन्य रूप से सत्यापित नहीं हैं। बाढ़ की घटना के लिए विभिन्न कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिनमें सामान्य प्रतिरूप से बार-बार विचलन के साथ समय और स्थान दोनों में वर्षा में व्यापक भिन्नता, नदियों की अपर्याप्त वहन क्षमता, नदी तट का कटाव और नदी तलों में गाद जमा होना, भूस्खलन, खराब प्राकृतिक जल निकासी, बाढ़ प्रवण क्षेत्र, बर्फ का पिघलना और हिमनद झील का फटना शामिल हैं।

हिमालय क्षेत्र में उच्च भूकंपीय जोखिम क्षेत्र

भारत सरकार के विभिन्न संगठन भूकंपीय जोनेशन मैपिंग और उनके प्रभाव को कम करने के लिए देश भर में उच्च भूकंपीय जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान के लिए नियमित निगरानी में शामिल हैं।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र उच्च भूकंपीय क्षमता वाले हिमालयी क्षेत्रों पर विशेष जोर देते हुए 24◦7 आधार पर देश और उसके आसपास भूकंप गतिविधि की निगरानी करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के पास भूकंप गतिविधियों की निगरानी, भूकंपीय खतरों के मूल्यांकन और भूकंप पूर्व अध्ययन के लिए उत्तर-पश्चिम और पूर्वोत्तर हिमालय में लगभग 70 ब्रॉडबैंड सीस्मोग्राफ स्टेशन कार्यरत हैं। चूँकि, भूकंप से भूस्खलन हो सकता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पर आधारित टेक्टोनिक गतिविधि को शामिल करके भूस्खलन की संवेदनशीलता और भेद्यता मानचित्र भी तैयार किए गए हैं।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व हिमालय के साथ-साथ भूस्खलन संवेदनशीलता क्षेत्र का मानचित्रण किया है। इसरो ने क्रस्टल विरूपण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए हिमालय बेल्ट में 30 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित सतत संचालन संदर्भ स्टेशनों का एक नेटवर्क भी स्थापित किया है। उपरोक्त के अलावा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने देश के भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में क्षेत्रीय सत्यापन के साथ अनुसंधान और विकास अध्ययन किए हैं। जीएसआई ने प्लेट मूवमेंट की निगरानी करने और समरूपता में तनाव वाले क्षेत्रों को मैप करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न हिस्सों में स्थायी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) स्टेशन भी स्थापित किए हैं।

इन संगठनों द्वारा दर्ज की गई भूकंपीय गतिविधियों की जानकारी पहाड़ी क्षेत्रों की क्षेत्रीय विकासात्मक योजना और देश में भूकंपीय आपदाओं के प्रबंधन में उपयोग के लिए आगे के शोध अध्ययनों में उपयोग के लिए राज्य और केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों सहित सभी हितधारकों तक प्रसारित की जाती है।

पर्वत श्रृंखलाओं सहित पर्यावरण की रक्षा के लिए, भारत सरकार ने 2006 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति को अपनाया है। नीति क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की भूमिका को पहचानती है और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत विकास के लिए प्रबंधन के लिए उचित भूमि उपयोग योजना और वाटरशेड को बढ़ावा देने पर जोर देती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने और भारतीय हिमालयी क्षेत्र में जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एकीकृत प्रबंधन रणनीतियों को विकसित करने के लिए एक फोकल एजेंसी के रूप में गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान की स्थापना की है। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर ने 2023 में भारत का एक भूस्खलन एटलस तैयार किया है जो दर्शाता है कि 1998-2022 के दौरान भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन हुए थे। डेटाबेस में भारत के 17 राज्यों और 02 केंद्र शासित प्रदेशों में हिमालय और पश्चिमी

घाट में भूस्खलन के प्रति संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं। इस भूस्खलन डेटाबेस का उपयोग प्रमुख सामाजिक-आर्थिक मापदंडों के संदर्भ में भूस्खलन जोखिम के संदर्भ में भारत के 147 पहाड़ी जिलों को रैंक करने के लिए किया गया था। डेटाबेस भूस्खलन का पता लगाने, मॉडलिंग और भविष्यवाणी में उन्नत तकनीकों पर भी प्रकाश डालता है।

पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण

सरकार ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018 को अधिसूचित किया है, जिसमें इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 तक पेट्रोल में इथेनॉल के 20% मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में ईबीपी कार्यक्रम के तहत देश के सभी राज्यों में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचा जा रहा है।

जैव ईंधन का उत्पादन

जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018 के अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड)/निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) में स्थित इकाइयों द्वारा देश में जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, उनके द्वारा निर्यात के लिए जैव ईंधन के उत्पादन के लिए फीडस्टॉक का आयात किया जाता है, जिसे बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति दी गई।

'भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए रोडमैप 2020-25' पर विस्तृत रिपोर्ट 2025-26 तक भारत में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2021-22 के लिए उपरोक्त रोडमैप में निर्धारित 10% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अधिसूचना के माध्यम से "परिवहन उद्देश्यों के लिए उच्च गति डीजल के साथ मिश्रण के लिए बायोडीजल की बिक्री के लिए दिशानिर्देश-2019" जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के खंड 'x' के अनुसार, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार के अधिकारियों के पास बायोडीजल बेचने वाली खुदरा दुकानों का नियमित निरीक्षण करने की शक्ति होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहकों को बायोडीजल सही गुणवत्ता और मात्रा में उपलब्ध कराया जा रहा है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को बायोडीजल के नाम पर अनधिकृत उत्पाद की बिक्री के मामले को देखने और इस खतरे को रोकने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए लिखा है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को बीआईएस विनिर्देशों के अनुसार मिश्रित जैव ईंधन बेचने का निर्देश दिया है।

***

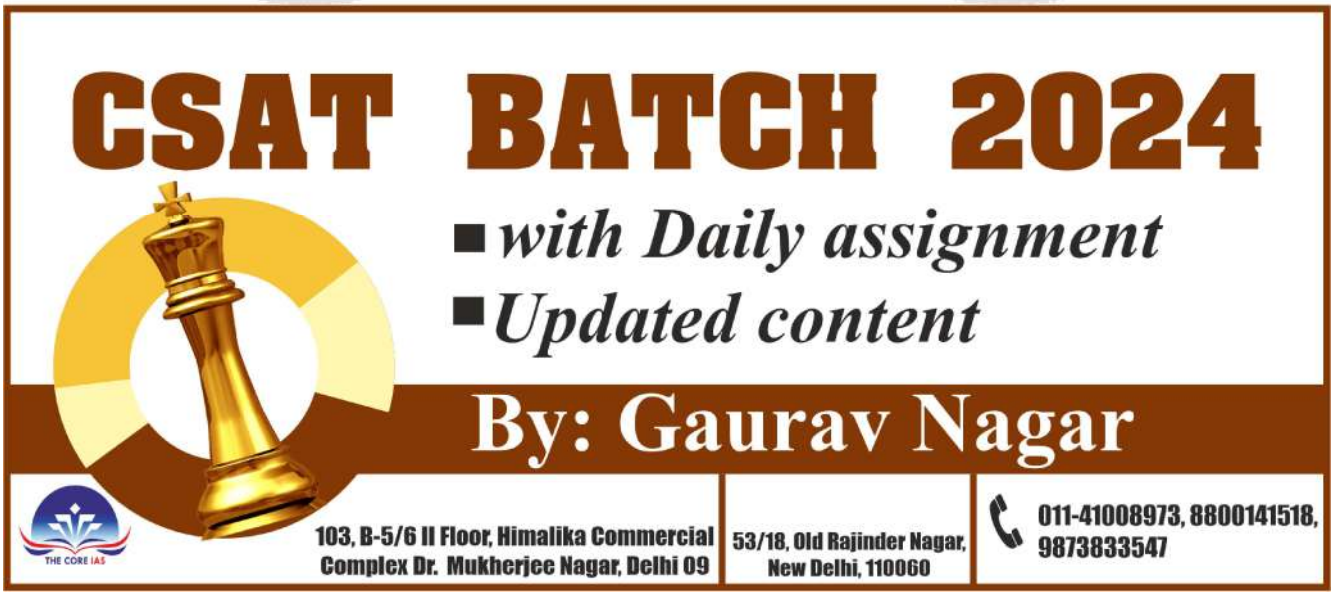

"प्राचीन सिले जहाज निर्माण विधि (टंकाई विधि)"

जहाज निर्माण की 2000 साल पुरानी तकनीक जिसे 'सिले हुए जहाज निर्माण विधि' के नाम से जाना जाता है, को पुनर्जीवित और संरक्षित करने की एक उल्लेखनीय पहल में, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारतीय नौसेना पूरे प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन और निष्पादन की निगरानी करेगी। समुद्री सुरक्षा के संरक्षक और क्षेत्र के विशेषज्ञों के रूप में, भारतीय नौसेना की भागीदारी निर्बाध परियोजना प्रबंधन और सुरक्षा और परिशुद्धता के उच्चतम मानकों का पालन सुनिश्चित करती है। उनका अमूल्य अनुभव और तकनीकी ज्ञान प्राचीन सिलाई पद्धति के सफल पुनरुद्धार और सिले हुए जहाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

ऐतिहासिक महत्व और पारंपरिक शिल्प कौशल के संरक्षण को देखते हुए, सिले हुए जहाज का भारत में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मूल्य है। पूरे इतिहास में, भारत में एक मजबूत समुद्री परंपरा रही है, और सिले हुए जहाजों के उपयोग ने व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कीलों का उपयोग करने के बजाय लकड़ी के तख्तों को एक साथ सिलाई करके बनाए गए इन जहाजों ने लचीलापन और स्थायित्व प्रदान किया, जिससे उन्हें उथले और रेत की पट्टियों से होने वाले नुकसान की संभावना कम हो गई। यद्यपि यूरोपीय जहाजों के आगमन से जहाज निर्माण तकनीकों में बदलाव आया, लेकिन भारत के कुछ तटीय क्षेत्रों में, मुख्य रूप से छोटी स्थानीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए, जहाजों को सिलने की कला बची हुई है।

भावी पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए इस लुप्त होती कला को पुनर्जीवित और पुनर्जीवित करना महत्वपूर्ण है। सिलाई की प्राचीन भारतीय कला का उपयोग करके समुद्र में जाने वाले लकड़ी के सिले हुए पाल जहाज के निर्माण का प्रस्ताव एक सराहनीय पहल है। इस परियोजना का लक्ष्य भारत में शेष पारंपरिक जहाज निर्माताओं की विशेषज्ञता का लाभ उठाना और उनकी असाधारण शिल्प कौशल का प्रदर्शन करना है। पारंपरिक नौवहन तकनीकों का उपयोग करके प्राचीन समुद्री मार्गों पर नौकायन करके, परियोजना हिंद महासागर में ऐतिहासिक बातचीत में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहती है, जिसने भारतीय संस्कृति, ज्ञान प्रणालियों, परंपराओं, प्रौद्योगिकियों और विचारों के प्रवाह को सुविधाजनक बनाया है।

सिले हुए जहाज परियोजना का महत्व इसके निर्माण से कहीं अधिक है। इसका उद्देश्य समुद्री स्मृति को पुनर्जीवित करना और अपने नागरिकों के बीच भारत की समृद्ध समुद्री विरासत पर गर्व की भावना पैदा करना है। इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य हिंद महासागर के तटीय देशों के बीच सांस्कृतिक यादों को बढ़ावा देना है। परियोजना के संपूर्ण दस्तावेजीकरण और कैटलॉगिंग से यह सुनिश्चित होगा कि बहुमूल्य जानकारी भविष्य के संदर्भ के लिए संरक्षित है। यह परियोजना न केवल एक अद्वितीय नाव-निर्माण प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन समुद्री यात्रा परंपराओं के प्रमाण के रूप में भी कार्य करती है।

Scan QR Code To See Thecore's Achievers

2022
22 Questions In Prelims

2023
31 Questions In Prelims

2024
For You

53/18, Old Rajinder Nagar, New Delhi, 110060

011-41008973, 8800141518

हिन्दी साहित्य (वैकल्पिक विषय)

उत्तर लेखन 2024

500+अद्यतन प्रश्नों के साथ बैच प्रारंभ

- भाषा खण्ड (150 अंक)
- व्याख्या खण्ड (100 अंक

विशेष फोकस

अरविंद कुमार सर द्वारा.

THE CORE IAS

103, B-5/6 II Floor, Himalika Commercial Complex Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 09

53/18, Old Rajinder Nagar, New Delhi, 110060

011-41008973, 8800141518, 9873833547

पोर्ट बीरा मोजाम्बिक में (भारत इंटरनेट उत्सव)

इंटरनेट कनेक्टिविटी, ज्ञान-साझाकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक अनिवार्य उपकरण के रूप में उभरा है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर दूरदराज और व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए किफायती और उच्च गुणवत्ता वाला इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

इंटरनेट की परिवर्तनकारी भूमिका को अपनाने के लिए, DoT, MYGOV के सहयोग से, "भारत इंटरनेट उत्सव" मना रहा है, जिसमें नागरिक 2 मिनट तक अपने वीडियो साझा कर सकते हैं कि कैसे इंटरनेट ने लोगों के जीवन को किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर बदल दिया है। DoT त्वरित समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कभी भी, कहीं भी सुरक्षित, विश्वसनीय, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली एकीकृत दूरसंचार सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।

IFSCA

IFSCA अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 ("IFSCA अधिनियम") के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों ('IFSC') में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विकसित और विनियमित करना है)। GIFT-IFSC भारत का पहला IFSC है। आईएफएससीए का लक्ष्य एक मजबूत वैश्विक जुड़ाव विकसित करना और भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ पूरे क्षेत्र के लिए एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मंच के रूप में काम करना है।

जलवायु नीति पहल

क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव वित्त और नीति में गहरी विशेषज्ञता वाला एक विश्लेषण और सलाहकार संगठन है। हमारा मिशन जलवायु परिवर्तन को संबोधित करते हुए सरकारों, व्यवसायों और वित्तीय संस्थानों को आर्थिक विकास में सहायता करना है। सीपीआई के दुनिया भर में ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में छह कार्यालय हैं। सीपीआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अपनी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भारत का समर्थन करने के लिए काम कर रही है: स्वच्छ ऊर्जा बाजार उत्प्रेरक पहल, जैसे यूएस इंडिया क्लीन एनर्जी फाइनेंस (यूएसआईसीईएफ), इंडिया क्लीन एनर्जी फाइनेंस 2.0 (आईसीईएफ)2.0), नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादक उपयोग (शुद्ध), भारत वितरित सौर वित्त पहल (आईडीएसएफ), जलवायु वित्त के लिए ग्लोबल इनोवेशन लैब (भारत चैप्टर); क्षमता निर्माण पहल, जैसे सेंटर फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस (CSF)]; और एक स्थायी ऊर्जा भविष्य में परिवर्तन के लिए अनुसंधान और विश्लेषण, जैसे पीएसयू के लिए फ्यूचरप्रूफिंग रणनीति, और जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन।

भारत-फ्रांस

प्रसंग: भारतीय प्रधानमंत्री पेरिस में फ्रांस के बास्तील दिवस परेड में सम्मानित अतिथि होंगे। यह यात्रा फ्रांस के साथ 25 साल की रणनीतिक साझेदारी के साथ मेल खाती है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:

- 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब के पास फ्रांस्वा बर्नियर नाम का एक फ्रांसीसी चिकित्सक था।
- फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी।
- 1947, फ्रांस ने स्वतंत्र भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किये।
- 1948 में, फ्रांसीसी भारत के लोग अपना राजनीतिक भविष्य चुनने के लिए स्वतंत्र थे।
- अगस्त 1962 में, 1956 में हस्ताक्षरित सत्र संधि के अनुसार, फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी सारी संपत्ति भारत सरकार को सौंप दी।

तथ्य

- जबकि जर्मनी और नीदरलैंड ने 2019 में महत्वपूर्ण मात्रा - क्रमशः $25bn और $17bn दर्ज की - फ्रांस की कुल, सैन्य बिक्री को छोड़कर, $12bn से अधिक थी।
- भारत में विदेशी निवेशकों में फ्रांस 11वें स्थान पर है।
- फ्रांसीसी व्यवसाय भारत में कम स्थापित हैं।
- भारत में लगभग 1000 फ्रांसीसी कंपनियाँ मौजूद हैं जिनका कुल कारोबार 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- स्थाई सदस्यता के लिए भारत के समर्थक।
- फ्रांस सभी चार बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं, अर्थात् वासेनार व्यवस्था, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, और ऑस्ट्रेलिया समूह की सदस्यता के लिए भारत का एक बड़ा समर्थक रहा है।
- 2047 द्विपक्षीय संबंधों के रोडमैप के तीन स्तंभ हैं: सुरक्षा और संप्रभुता के लिए साझेदारी; ग्रह के लिए साझेदारी; लोगों के लिए साझेदारी।

सामरिक भागीदारी

- 1998 (विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर उनके विचारों की समानता का प्रतीक)
- फ्रांस-भारत संबंधों की प्रेरक शक्ति कहीं और है, रणनीति के संप्रभु क्षेत्र में, और वास्तव में सुरक्षा में, जहां राज्य की भूमिका अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक है।

विश्लेषण

- चीन के उदय के कारण रणनीतिक साझेदारी का महत्व बढ़ गया है, विशेष रूप से हिंद महासागर में एक नए प्रकार के प्रभाव से प्रकट हुआ है। हिंद महासागर में फ्रांस का अधिकांश EEZ और भारत चीन का प्रत्यक्ष पड़ोसी है।
- फ्रांस की इंडो-पैसिफिक रणनीति में भारत का स्थान।
- भारत सरकार ने अपने व्यापक समुद्री पदचिह्न के कारण पेरिस को बहुपक्षीय निकायों की सदस्यता हासिल करने में मदद की है, जैसे कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, जिसमें वह 2020 में शामिल हुआ। इसके परिणामस्वरूप द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास हुआ है, इनमें से सबसे पहला, वरुणा ने, 2001 से एक वार्षिक कार्यक्रम में भाग लिया; विमानवाहक पोत चार्ल्स डी गॉल ने 2021 में इसमें भाग लिया।
- **विशेषताएँ:** दोनों देशों के बीच संबंध रणनीतिक स्वायत्तता, स्वतंत्र विदेश नीतियों और बहुध्रुवीय दुनिया की साझा दृष्टि की विशेषता है। ("सहयोगी, लेकिन गठबंधन नहीं")
- **बहुआयामी:** भारत और फ्रांस के बीच साझेदारी में हाल के दिनों में संयुक्त रणनीतिक दृष्टिकोण, रसद समर्थन समझौतों और सैन्य अभ्यास के माध्यम से प्रगति देखी गई है।

संबंधों में चुनौतियां

- भारत और फ्रांस के बीच मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, जो बढ़ते व्यापार और आर्थिक सहयोग की संभावना को सीमित करता है।
- फ्रांस के पक्ष में व्यापार असंतुलन।
- फ्रांस ने कई बार डब्ल्यूटीओ, जलवायु शिखर सम्मेलन और भारत के बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण पर भारत के रुख पर चिंता व्यक्त की है।
- रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से परे, दोनों देश "मध्यम शक्तियों" के बीच और बहुपक्षवाद को फिर से परिभाषित करने वाले नेताओं के रूप में पहचाने जाने का भी प्रयास करते हैं।

गोवा में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया

आयुष मंत्रालय ने गोवा के रिबंदर में स्वास्थ्य देखभाल और आयुष अनुसंधान सुविधाओं के लिए आयुष स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना की है। इस सुविधा का उद्देश्य स्थानीय समुदाय को उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती आयुष स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है और खनिज और समुद्री मूल की दवाओं पर अनुसंधान करने के लिए समर्पित एक संग्रहालय, पुस्तकालय और एक प्रयोगशाला विकसित करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान को बढ़ावा देना है।

THE CORE IAS
GS ANSWER WRITING
CURRENT AFFAIRS
ADVANCED COURSE
GS FOUNDATION
OPTIONAL SUBJECT
HINDI SAHITYA
HISTORY OPTIONAL
GEOGRAPHY OPTIONAL
THE CORE IAS
CSAT
011-41008973, 8800141518

योजना

eSARAS

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए विपणन समर्थन को मजबूत करने का एक और कदम उठाते हुए, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने eSARAS मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो एसएचजी द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए ईकॉमर्स पहल में योगदान देगा।

eSARAS पूर्ति केंद्र का प्रबंधन फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन्स (FDRVC - ग्रामीण विकास मंत्रालय और टाटा ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से गठित एक गैर-लाभकारी कंपनी) द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग ग्राहकों द्वारा खरीदे जाने वाले उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और शिपिंग के लिए किया जाएगा। eSARAS पोर्टल और eSARAS मोबाइल ऐप के माध्यम से। यह ग्राहक के दरवाजे तक ऑनलाइन ऑर्डर लाने के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स को संभालेगा।

eSARAS एक ई-कॉमर्स मोबाइल ऐप का उपयोग स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए एक अधिक प्रभावी मंच के रूप में किया जाएगा। यह सर्वोत्तम, प्रामाणिक हस्तशिल्प और हथकरघा के विपणन की दिशा में ग्रामीण विकास मंत्रालय के DAY-NRLM द्वारा संकल्पित एक पहल है।

राष्ट्रीय महत्व का मार्केट यार्ड मंच

भारत सरकार हमेशा कृषि उपज विपणन समितियों (APMC) को मजबूत करने और किसानों को बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार के माध्यम से नई डिजिटल प्रौद्योगिकियों के आगमन के साथ उन्हें अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाने के विचार का समर्थन करती रही है।

कृषि-विपणन क्षेत्र में e-NAM की उपलब्धि अग्रणी रही है। यद्यपि 1361 विनियमित बाजार e-NAM प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन एक आवश्यकता महसूस की गई है कि विशेष रूप से अधिशेष किसान उपज के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करने के लिए अंतर-मंडी और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतर-राज्य व्यापार महत्वपूर्ण है और यह आवश्यक है कि एक अंतर-मंडी और अंतर-राज्य व्यापार के लिए पारदर्शी मूल्य खोज तंत्र के साथ गुणवत्ता आधारित व्यापार को बढ़ावा देकर पूरे भारत में एक कुशल और निर्बाध विपणन प्रणाली के माध्यम से किसानों की अधिशेष उपज तक बड़ी पहुंच बनाने के लिए अधिक ठोस हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

नीतिगत सुधारों को अगले स्तर पर ले जाते हुए और अंतिम उपभोक्ता मूल्य में उत्पादकों की हिस्सेदारी बढ़ाने की दृष्टि से, भारत सरकार ने अंतर-मंडी और राष्ट्रीय महत्व के मार्केट यार्ड की अवधारणा और कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर-राज्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 21 अप्रैल, 2023 को एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति को एमएनआई के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा की सिफारिश करने का काम सौंपा गया है।

हाल ही में विशेषज्ञ समिति ने MNI प्लेटफॉर्म पर विशेषज्ञ समिति की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उपरोक्त समिति ने MNI-P प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन ढांचे, कानूनी ढांचे और लाइसेंस और आंदोलन की अंतर-राज्य पारस्परिकता, विवाद समाधान तंत्र, रोलआउट रणनीति आदि की सिफारिश की है। यह मंच भाग लेने वाले राज्यों के किसानों को अपनी अधिशेष उपज बेचने का अवसर प्रदान करेगा। अपनी राज्य की सीमाओं से परे. यह मंच डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सक्षम होगा जो कृषि मूल्य श्रृंखला के विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा।

कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना(समर्थ)

समर्थ कपड़ा मंत्रालय का एक मांग आधारित और प्लेसमेंट-उन्मुख अम्ब्रेला कौशल कार्यक्रम है, जिसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अपनाई गई व्यापक कौशल नीति ढांचे के तहत तैयार किया गया है।

इस योजना का उद्देश्य संगठित कपड़ा और संबंधित क्षेत्रों में नौकरियां पैदा करने में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करना और पूरक बनाना है। प्रवेश स्तर के कौशल के अलावा, परिधान और परिधान क्षेत्रों में मौजूदा श्रमिकों की उत्पादकता में सुधार की दिशा में योजना के तहत

अपस्किलिंग/री-स्किलिंग कार्यक्रम के लिए एक विशेष प्रावधान भी संचालित किया गया है। समर्थ हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम और जूट जैसे पारंपरिक कपड़ा क्षेत्रों की अपस्किलिंग/री-स्किलिंग आवश्यकता को भी पूरा करता है।

यह योजना देश के 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में फैल गई है और एससी, एसटी और अन्य हाशिए पर मौजूद श्रेणियों सहित समाज के सभी वर्गों को पूरा करती है। अब तक आवंटित 4.72 लाख लाभार्थियों के कौशल लक्ष्य में से 1.88 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। योजना के तहत अब तक प्रशिक्षित लाभार्थियों में 85% से अधिक महिलाएं हैं। संगठित क्षेत्र के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित 70% से अधिक लाभार्थियों को प्लेसमेंट प्रदान किया गया है।

लागत मानदंडों में 5% की वृद्धि के साथ फंडिंग प्रतिरूप को भी संशोधित किया गया है, जिससे इस योजना के तहत कौशल प्रदान करने वाले उद्योगों को आवश्यक अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी।

अटल वयो अभ्युदय योजना: गरिमामय जीवन के लिए बुजुर्गों को सशक्त बनाना

Ministry	Ministry of Social Justice and Empowerment
Type	Central Sector Scheme
Umbrella scheme	National Action Plan for Senior Citizen (NAPSrc) had been revamped, renamed as Atal VayoAbhyuday Yojana (AVYAY)
Aim	Addressing their financial, healthcare, and social needs, the scheme aims to empower the elderly, ensuring their active participation and inclusion in society.
Vision	Strives to create an environment for senior citizens to live a life of dignity, respect, and fulfilment, acknowledging their invaluable contributions to the nation.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अपने सभी नागरिकों के लिए एक समावेशी और न्यायसंगत समाज बनाने की दिशा में काम कर रहा है। पिछले नौ वर्षों में, मंत्रालय ने छात्रवृत्ति के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों, बुजुर्ग नागरिकों, सफाई कर्मचारियों और ट्रांसजेंडर लोगों सहित समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई योजनाएं और पहल शुरू की हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY), भारत में वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल है। यह योजना बुजुर्गों द्वारा समाज में किए गए अमूल्य योगदान को मान्यता देती है और समाज में बुजुर्गों के अमूल्य योगदान को पहचानकर उनकी भलाई और सामाजिक समावेश सुनिश्चित करना चाहती है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए नोडल विभाग होने के नाते, विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPSrc) को नया रूप दिया गया, इसका नाम बदलकर अटल वायोअभ्युदय योजना (AVYAY) कर दिया गया और अप्रैल 2021 में इसमें शामिल कर दिया गया।

छत्र योजना के तहत, अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY), वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम (IPSrC) वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए वरिष्ठ नागरिक घरों / सतत देखभाल घरों को चलाने और रखरखाव के लिए, विशेष रूप से गरीब वरिष्ठ नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं, मनोरंजन के अवसर प्रदान करके और उत्पादक और सक्रिय उम्र बढ़ने को प्रोत्साहित करके पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

AVYAY योजना के तहत एक अन्य घटक राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) है, जो उम्र से संबंधित किसी भी विकलांगता/दुर्बलता से पीड़ित पात्र वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण प्रदान करता है, जो विकलांगता/दुर्बलता पर काबू पाकर उनके शारीरिक कार्यों में लगभग सामान्य स्थिति बहाल कर सकते हैं। कम दृष्टि, श्रवण हानि, दांतों की हानि और लोको-मोटर विकलांगता जैसे प्रकट होते हैं। लाभार्थियों के लिए वित्तीय मानदंड या तो वरिष्ठ नागरिक 'गरीबी रेखा से नीचे' (बीपीएल) श्रेणी का है या उसकी आय 15,000 (पन्द्रह हजार रूपये) प्रति माह रुपये तक है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अटल वयो अभ्युदय योजना, भारत में वरिष्ठ नागरिकों की भलाई और सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। उनकी वित्तीय, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक जरूरतों को संबोधित करके, योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को सशक्त बनाना, समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी और समावेश सुनिश्चित करना है। इस पहल के माध्यम से, सरकार एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करती है जहां वरिष्ठ नागरिक राष्ट्र के लिए अपने अमूल्य योगदान को स्वीकार करते हुए सम्मान, सम्मान और संतुष्टि का जीवन जी सकें।

टेली लॉ: न पहुँचे हुए लोगों तक पहुँचना

टेली-लॉ के बारे में: रीचिंग द अनरीच्ड, मुकदमे-पूर्व चरण में कानूनी सलाह और परामर्श लेने के लिए एक ई-इंटरफेस तंत्र है। यह पंचायत स्तर पर स्थित सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/टेलीफोनिक सुविधाओं के माध्यम से पैनल वकीलों

के साथ कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले जरूरतमंदों और हाशिए पर रहने वाले लोगों को जोड़ता है। 2017 में लॉन्च की गई, टेली-लॉ सेवा अब टेली-लॉ मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड और आईओएस पर उपलब्ध) के माध्यम से सीधे पहुंच योग्य है।

तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी)

मिष्टी कार्यक्रम हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारत के साथ-साथ इंडोनेशिया सहित अन्य देशों में पहले से मौजूद सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर भारत के तटीय जिलों में मैंग्रोव पुनर्वतिकरण और वनीकरण करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम की परिकल्पना तटीय राज्यों में मैंग्रोव से जुड़ी इकोटूरिज्म पहल और आजीविका सृजन को विकसित करने के लिए भी की गई है। "मिष्टी" 'मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट' के प्रयासों में योगदान देगी - मैंग्रोव को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरसरकारी गठबंधन, जिसका भारत (COP27) के दौरान सक्रिय सदस्य बन गया।

वर्तमान में, मैंग्रोव के अंतर्गत लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है और मिष्टी कार्यक्रम के माध्यम से 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 540 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त क्षेत्र को कवर करने का प्रस्ताव है। इस योजना को 2023-2024 से 2027-2028 तक पांच साल की अवधि के लिए लागू करने की योजना है। मिष्टी को CAMPA फंड, MGNREGS और अन्य स्रोतों को मिलाकर लागू किया जाना है। तमिलनाडु में इस कार्यक्रम के तहत मैंग्रोव पुनर्वनीकरण/वनरोपण के लिए सीमांकित कुल क्षेत्र लगभग 39 वर्ग किमी है।

पोषण भी पढाई भी

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD) ने 'पोषण भी पढाई भी' पर एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन आयोजन किया।

विद्यांजलि

विद्यांजलि शिक्षा मंत्रालय का एक स्कूल स्वयंसेवक प्रबंधन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश भर में सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को मजबूत करना है। यह पहल उद्योग सहित जीवन के सभी क्षेत्रों के स्वयंसेवकों को जोड़ती है।

पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाकर, यह सहयोग एक शक्तिशाली तालमेल बनाना चाहता है जो विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से स्कूलों के लिए सीएसआर में उद्योगों के प्रयासों की मदद से शिक्षा की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

MSME का लाभ उठाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करने के लिए पशुधन क्षेत्र के लिए पहली "क्रेडिट गारंटी योजना"

पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करने और संपार्श्विक सुरक्षा की परेशानी के बिना पशुधन क्षेत्र में लगे हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को ऋण के सुचारू प्रवाह की सुविधा प्रदान करने के लिए पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) के तहत क्रेडिट गारंटी योजना लागू कर रहा है। योजना के संचालन के लिए, DAHD ने 750 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्थापित किया है, जो पात्र ऋण संस्थानों द्वारा MSME को दी गई क्रेडिट सुविधाओं के 25% तक क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करेगा।

क्रेडिट गारंटी योजना गैर-सेवित और अल्प-सेवित पशुधन क्षेत्र के लिए वित्त तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती है, जिससे मुख्य रूप से पहली पीढ़ी के उद्यमियों और समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लिए ऋणदाताओं से वित्तीय सहायता की उपलब्धता होती है, जिनके पास अपने उद्यमों का समर्थन करने के लिए संपार्श्विक सुरक्षा की कमी होती है।

क्रेडिट गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि ऋणदाता परियोजना व्यवहार्यता को महत्व दे और पूरी तरह से वित्तपोषित परिसंपत्तियों की प्राथमिक सुरक्षा के आधार पर ऋण सुविधा सुरक्षित करे।

व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, MSME, किसान उत्पादक संगठनों और धारा 8 कंपनियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री के 15000 करोड़ रुपये के "पशुपालन अवसंरचना विकास निधि" (AHIDF) के आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना को मंजूरी दी गई थी। इसमें (i) डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचा, (ii) मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचा, (iii) पशु चारा संयंत्र, (iv) नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी और नस्ल गुणन फार्म (v) पशु अपशिष्ट धन प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन) और (vi) पशु चिकित्सा वैक्सीन और औषधि विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना की जाएगी।

AHIDF योजना की प्रमुख विशेषताओं में से एक 750 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना है। DAHD ने AHIDF योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को क्रेडिट गारंटी देने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना के लिए नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनएबी संरक्षण ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक ट्रस्ट का गठन किया है। मार्च 2021 में स्थापित यह फंड ट्रस्ट कृषि और पशुपालन क्षेत्र में AHIDF की क्रेडिट गारंटी योजना के तहत देश का पहला फंड ट्रस्ट है और डीएएचडी द्वारा की गई एक अग्रणी पहल है जो AHIDF का लाभ पाने वाली एमएसएमई इकाइयों की संख्या में तेजी से वृद्धि करेगी। योजना बनाना और बैंकों से संपार्श्विक-मुक्त ऋण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना।

क्रेडिट गारंटी पोर्टल को नियम आधारित बी2बी पोर्टल के रूप में विकसित किया गया है और क्रेडिट गारंटी योजना के तहत पात्र ऋण देने वाले संस्थानों के नामांकन, क्रेडिट गारंटी कवर जारी करने/नवीनीकरण और दावों के निपटान को लागू किया गया है।

विशेष रूप से, डीएएचडी द्वारा की गई क्रेडिट गारंटी योजना की पहल से पशुधन क्षेत्र में लगे MSME की भागीदारी में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढ़ेगा और पशुधन क्षेत्र, जो विकास चाहने वाले सबसे संभावित क्षेत्रों में से एक है, को मजबूत करने के माध्यम से समग्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए MSME को मजबूत किया जाएगा।

AHIDF योजना की मुख्य विशेषताएं:

1. 3% की ब्याज छूट
2. किसी भी अनुसूचित बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) से कुल परियोजना लागत का 90% तक ऋण।

कमजोर वर्गों के लिए किफायती न्याय

सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और समाज के अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के तहत किया गया है ताकि अधिनियम की धारा 12 के तहत कवर किए गए लाभार्थियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान की जा सके, ताकि अवसर सुनिश्चित किए जा सकें। किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय पाने से वंचित न किया जाए, और यह सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाए कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसरों के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे।

इस प्रयोजन हेतु तालुक न्यायालय स्तर से लेकर उच्चतम न्यायालय तक विधिक सेवा संस्थान स्थापित किये गये हैं। कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों/कार्यक्रमों में कानूनी सहायता और सलाह शामिल हैं; कानूनी जागरूकता कार्यक्रम; कानूनी सेवाएँ/सशक्तीकरण शिविर; कानूनी सेवा क्लीनिक; कानूनी साक्षरता क्लब; लोक अदालतें एवं पीड़ित प्रतिकर योजना का कार्यान्वयन।

न्याय तक त्वरित और न्यायसंगत पहुंच को सक्षम करने के लिए, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने आम नागरिकों को कानूनी सहायता तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए एंड्रॉइड और आईओएस संस्करणों पर कानूनी सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा न्याय तक पहुंच पर ष्भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान डिजाइन करनाष नामक एक योजना लागू की गई है, जिसका उद्देश्य टेली-लॉ के माध्यम से पूर्व-मुकदमेबाजी सलाह और परामर्श को मजबूत करना है; पूरे भारत में वितरण ढांचे को सुनिश्चित करना है। न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज) कार्यक्रम के माध्यम से प्रो बोनो कानूनी सेवाएं प्रदान करना और पैन इंडिया कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना। यह योजना अपने हस्तक्षेप का समर्थन करने और समाज के गरीब और सबसे कमजोर वर्गों तक कानूनी सेवाओं की आसान पहुंच प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग और क्षेत्रीय / स्थानीय बोली में प्रासंगिक आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) सामग्री विकसित करने पर आधारित है। योजना के तहत ये सभी सेवाएँ अनुसूचित जाति सहित सभी नागरिकों को नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं।

नई मंजिल योजना

सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और कम सुविधा प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विशेष रूप से छह केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाएं लागू करता है।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने उन अल्पसंख्यक युवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 8 अगस्त 2015 को विश्व बैंक से 50% फंडिंग के साथ नई मंजिल नाम से एक केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) शुरू की, जिनके पास औपचारिक स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र नहीं है, यानी, जो स्कूल की श्रेणी में हैं। -ड्रॉपआउट या मदरसा जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करना।

किसानों को सशक्त बनाने और पीएमएफबीवाई में परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए फसल बीमा में तकनीकी प्रगति

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने आज किसानों को सशक्त बनाने और परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत कई नई तकनीकी पहल शुरू कीं। वर्तमान लॉन्च के साथ, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अथक प्रयास अब 2023-25 के वर्तमान निविदा चक्र और खरीफ 2023 के दौरान किसान नामांकन में दिखाई दे रहे हैं, जो किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नए टेंडर चक्र और चल रहे नामांकन के साथ, मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयास अब दिखाई देने लगे हैं। ये महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ किसानों की आजीविका की सुरक्षा और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। YES-TECH मैनुअल और WINDS पोर्टल का लॉन्च इन चरणों का परिणाम है, जो सटीक नुकसान का आकलन और बेहतर मौसम डेटा प्रबंधन को सक्षम बनाता है।

यस-टेक मैनुअल भारत के 100 जिलों में व्यापक परीक्षण और पायलटिंग के बाद विकसित एक व्यापक मार्गदर्शिका है। यह YES-TECH, एक प्रौद्योगिकी-संचालित उपज अनुमान प्रणाली के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करता है, जो ग्राम पंचायत स्तर पर सटीक उपज आकलन के लिए कार्यप्रणाली, सर्वोत्तम प्रथाओं और एकीकरण अंतर्दृष्टि की पेशकश करता है। दूसरी ओर, विंड्स पोर्टल एक केंद्रीकृत मंच है जो तालुक/ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर स्वचालित मौसम स्टेशनों और वर्षा गेज द्वारा एकत्र किए गए हाइपर-स्थानीय मौसम डेटा को होस्ट, प्रबंधित और संसाधित करता है। पोर्टल कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हुए फसल बीमा, कृषि सलाह और आपदा शमन में जोखिम मूल्यांकन और निर्णय लेने को बढ़ाता है।

कृषि मंत्री ने सब्सिडी को अलग करने की भी घोषणा की, जो एक अभूतपूर्व कदम है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को राज्य की कार्रवाइयों की प्रतीक्षा किए बिना उनका दावा भुगतान प्राप्त हो। केंद्र अब सब्सिडी का अपना हिस्सा स्वतंत्र रूप से जारी करेगा, जिससे किसानों को बहुत जरूरी राहत और वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।

विंड्स का अनावरण करते हुए, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने "उत्तरदायी और उचित वैज्ञानिक तंत्र" के साथ जलवायु परिवर्तन के अनुसार कृषि को अपनाने का आह्वान किया है। "जब तक हम गंभीर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं होंगे, परिणाम गंभीर हो सकते हैं।"

सैटेलाइट के माध्यम से फसलों का मानचित्रण

सरकार फसल उत्पादन पूर्वानुमान और सूखा आकलन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है जिसमें उपग्रह छवियों का उपयोग शामिल है जैसे अंतरिक्ष, कृषि-मौसम विज्ञान और फसल उत्पादन के लिए भूमि आधारित अवलोकन (FASAL) परियोजना का उपयोग करके कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान, क्षेत्रीय फसलों का पूर्वानुमान, राष्ट्रीय कृषि कृषि सूखा मूल्यांकन के लिए सूखा मूल्यांकन और निगरानी प्रणाली (NADAMS)।

FASAL और NADAMS का संचालन महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (MNCFC) द्वारा किया जाता है जो कृषि और किसान कल्याण विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है। वर्तमान में, नौ फसलें अर्थात् चावल, गेहूं, रबी दालें, रेपसीड और सरसों, रबी, ज्वार, कपास, जूट, अरहर और गन्ना FASAL परियोजना के अंतर्गत शामिल हैं।

सैटेलाइट छवियों का उपयोग प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तकनीकी समर्थन में और पीएमएफबीवाई के तहत विभिन्न परिचालन अनुप्रयोगों, जैसे फसल काटने के प्रयोगों के लिए स्मार्ट नमूनाकरण (CCE) और उपज और क्षेत्र विवाद समाधान के लिए भी किया जाता है।

MNCFC विभिन्न भू-स्थानिक समाधानों और सेवाओं के विकास और उन्नयन पर इसरो और उद्योग के साथ काम कर रहा है। हाल ही में MNCFC और पिक्सेल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पायलट आधार पर चयनित क्षेत्रों में फसल की पहचान और मानचित्रण, फसल स्वास्थ्य निगरानी और मिट्टी कार्बनिक कार्बन आकलन के लिए पिक्सेल के हाइपरस्पेक्ट्रल उपग्रहों से इमेजरी का उपयोग करके कृषि विश्लेषण मॉडल विकसित करना। इससे फसल अनुमान सर्वेक्षण, आपदा प्रबंधन और राहत, फसल बीमा और कृषि स्तर की सलाह में सटीकता में सुधार होता है।

पोषण योजना

पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को एक समन्वित और परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण अपनाकर समयबद्ध तरीके से किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। हाल ही में, आंगनवाड़ी सेवाओं और पोषण अभियान के पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत प्रयासों को 'सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' (मिशन पोषण 2.0) के तहत संरेखित किया गया है, जो एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य पोषण सामग्री और वितरण में रणनीतिक बदलाव के माध्यम से बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना और स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा का पोषण करने वाली प्रथाओं को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए एक अभिसरण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। पोषण 2.0 मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चे के आहार मानदंडों पर केंद्रित है। पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक पोषण प्रथाओं में समय-परीक्षित पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठाया गया है ताकि बीमारियों की रोकथाम और योग के माध्यम से कल्याण को बढ़ावा देने, पोषण वाटिकाओं में औषधीय जड़ी-बूटियों की खेती और एनीमिया जैसी स्थितियों से निपटने के लिए आयुष फॉर्मूलेशन के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। मिशन पोषण 2.0 के तहत, पूरक पोषण के लिए फोर्टिफाइड चावल आवंटित किया जा रहा है और पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए बाजरा और स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक भोजन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

इसके अलावा, कुपोषण के लिए जीवनचक्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए उत्तर पूर्व और आकांक्षी जिलों में 14-18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोर लड़कियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मिशन पोषण 2.0 के तहत किशोर लड़कियों के लिए योजना को संशोधित किया गया है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMVVY) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को रुपये के प्रत्यक्ष नकद लाभ के लिए सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करती है। स्वास्थ्य चाहने वाले व्यवहार को बढ़ावा देने और गर्भावस्था और मातृत्व की अवधि के दौरान वेतन हानि के आंशिक मुआवजे के उद्देश्य से एक बच्चे के लिए 5000 रु. मिशन शक्ति के तहत, सरकार ने दूसरे बच्चे के लिए भी लाभ बढ़ाने का फैसला किया है, अगर वह लड़की है तो 6000 रुपये की उच्च वित्तीय सहायता दी जाएगी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, पूरे देश में गरीब महिलाओं सहित सभी गर्भवती महिलाओं को मातृ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं लागू की गई हैं:

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) सभी रोके जा सकने वाली मातृ एवं नवजात मृत्यु को समाप्त करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर आने वाली प्रत्येक महिला और नवजात शिशु के लिए बिना किसी कीमत के सुनिश्चित, गरिमापूर्ण, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है और सेवाओं से इनकार के प्रति शून्य सहनशीलता प्रदान करता है।

जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), संस्थागत डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए एक मांग प्रोत्साहन और सशर्त नकद हस्तांतरण योजना।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत, प्रत्येक गर्भवती महिला मुफ्त परिवहन, निदान, दवाएं, रक्त, अन्य उपभोग्य सामग्रियों और आहार के प्रावधान के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में सिजेरियन सेक्शन सहित मुफ्त प्रसव की हकदार है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) गर्भवती महिलाओं को एक निश्चित दिन, हर महीने के 9वें दिन एक विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा नि:शुल्क सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच प्रदान करता है।

लक्ष्य यह सुनिश्चित करने के लिए है कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान और प्रसव के तुरंत बाद सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण देखभाल मिले, प्रसव कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करता है।

प्रथम रेफरल इकाइयों (FRU) का कार्यान्वयन गर्भवती महिलाओं के लिए देखभाल की गुणवत्ता तक पहुंच में सुधार के लिए जनशक्ति, रक्त भंडारण इकाइयों, रेफरल लिंकेज को सुनिश्चित करके।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (MCH) विंग की स्थापना माताओं और बच्चों को प्रदान की जाने वाली देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए उच्च केसलोड सुविधाओं पर।

प्रसूति एचडीयू और आईसीयू जटिल गर्भावस्था को संभालने के लिए देश भर में उच्च केसलोएड तृतीयक देखभाल सुविधाओं में।

मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (VHSND), ICDS के साथ समन्वय में पोषण सहित मातृ एवं शिशु देखभाल के प्रावधान के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक आउटरीच गतिविधि।

जन्म प्रतीक्षा गृह (बीडब्ल्यूएच) संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में सुधार के लिए दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं।

आउटरीच शिविर विशेष रूप से आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए प्रावधान किया गया है। इस मंच का उपयोग मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, सामुदायिक गतिशीलता के साथ-साथ उच्च जोखिम गर्भधारण को ट्रैक करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है।

एएनएम (SBA) को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन: एसबीए में प्रशिक्षित एएनएम को सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में पूर्व-चिह्नित और अधिसूचित गांवों में घरेलू प्रसव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जहां भौगोलिक/जलवायु संबंधी आवश्यकताओं के कारण किसी महिला को प्रसव के लिए संस्थान में लाना मुश्किल होता है।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (RCH) पोर्टल गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए एक नाम-आधारित वेब-सक्षम ट्रैकिंग प्रणाली है ताकि उन्हें प्रसवपूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल सहित नियमित और पूर्ण सेवाओं का निर्बाध प्रावधान सुनिश्चित किया जा सके।

एमसीपी कार्ड और सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका गर्भवती महिलाओं को आहार, आराम, गर्भावस्था के खतरे के संकेत, लाभ योजनाओं और संस्थागत प्रसव के बारे में शिक्षित करने के लिए वितरित किया जाता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, 10-19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2011 से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK) के तहत लागू की गई है।

योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं:

- मासिक धर्म स्वच्छता पर किशोरियों के बीच जागरूकता बढ़ाना।
- किशोरियों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन की पहुंच और उपयोग बढ़ाना।
- पर्यावरण के अनुकूल तरीके से सैनिटरी नैपकिन का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना।

2015-16 से, मासिक धर्म स्वच्छता योजना को राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) मार्ग के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समर्थित किया जाता है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) के लिए आईईसी/बीसीसी गतिविधियों के लिए प्रदान किए गए समग्र बजट के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बड़े पैमाने पर किशोर लड़कियों, प्रभावशाली लोगों और समुदाय को लक्षित करके मिड मीडिया/मास मीडिया और आईपीसी गतिविधियां की जाती हैं। उपरोक्त के अलावा, शिक्षकों, एएनएम, आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आरकेएसके के तहत प्रदान किए गए बजट के साथ योजना के लिए उचित रूप से उन्मुख किया जाता है।

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाएँ

सरकार ग्रामीण महिलाओं सहित महिलाओं की सुरक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार ने महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए जीवन-चक्र सातत्य के आधार पर उनके मुद्दे को संबोधित करने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है ताकि वे तेज गति और टिकाऊ राष्ट्रीय विकास में समान भागीदार बन सकें।

संविधान में 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों (PRI) में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। हालाँकि, आज पीआरआई में 14.50 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% है। सरकार निर्वाचित महिला प्रतिनिधि को उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए कई पहल की गई हैं। भारत सरकार महिलाओं/लड़कियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम लागू करती है जिसमें सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत, लगभग 9.00 करोड़ महिलाएं लगभग 83.5 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं, जो ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को कई नवीन और सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से जिम्मेदार तरीकों से बदल रही हैं, साथ ही संपार्श्विक मुक्त ऋण सहित सरकारी सहायता का भी लाभ उठा रही हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) कहता है कि योजना (मनरेगा) के तहत उत्पन्न कम से कम एक तिहाई नौकरियां महिलाओं को दी जानी चाहिए।

राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई-एनएएम, कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म महिलाओं को बाजारों तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने या क्षतिपूर्ति करने में मदद कर रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) महिला सहकारी समितियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं खाद्यान्न प्रसंस्करण, वृक्षारोपण फसलों, तिलहन प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, डेयरी और पशुधन, हथकरघा और पावरलूम बुनाई, एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं, आदि कताई मिलों से संबंधित गतिविधियों से निपटने वाली सहकारी समितियों में शामिल हैं। अन्य योजनाओं में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी), समग्र शिक्षा, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, स्वच्छ विद्यालय मिशन, स्वच्छ भारत मिशन आदि शामिल हैं। रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए महिला श्रमिकों की, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कौशल भारत मिशन भी शुरू किया है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं एक सार्वभौमिक योजना है जिसके तहत गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) सहित सेवाओं के लिए पात्र हैं। मजदूरी के आंशिक मुआवजे के लिए और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) लागू की है, जिसका उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान नकद प्रदान करके उचित अभ्यास, देखभाल और संस्थागत सेवा उपयोग को बढ़ावा देना तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड में प्रोत्साहन देना है।

'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत 11.00 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण, 'उज्ज्वला योजना' के तहत गरीबी रेखा से नीचे की लगभग 9.58 करोड़ महिलाओं को स्वच्छ रसोई गैस कनेक्शन और 'जल जीवन मिशन' के तहत 19.46 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 12.59 करोड़ से अधिक को नल से पीने के पानी के कनेक्शन से जोड़ना शामिल है। कठिन परिश्रम और देखभाल के बोझ को कम करके महिलाओं के जीवन को बदल दिया है। प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार के एक सदस्य को कवर करके 6 करोड़ व्यक्तियों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है। पीएमजीदिशा के तहत 53% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं की सुरक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम शमिशन शक्तिश को अम्ब्रेला योजना के रूप में लागू करता है। 'मिशन शक्ति' की दो उप-योजनाएँ हैं, अर्थात् महिलाओं की सुरक्षा के लिए "संबल" और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए "सामर्थ्य"। 'सामर्थ्य' उप-योजना के तहत, केंद्र, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तरों पर महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एक नया घटक यानी महिला सशक्तिकरण केंद्र को शामिल किया गया है। एक ऐसा वातावरण बनाना जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें।

महिलाओं के लिए स्टार्टअप योजना

सरकार ने भारत की स्टार्टअप संस्कृति को पोषित करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से 16 जनवरी 2016 को 'स्टार्टअप इंडिया पहल' शुरू की, जो हमारी आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाएगी, उद्यमशीलता का समर्थन करेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों को सक्षम करेगी। यह, अन्य बातों के साथ-साथ, नीतियों और पहलों और सक्षम नेटवर्क के निर्माण के माध्यम से महिला उद्यमिता को मजबूत करने में सहायता करता है।

इस पहल के तहत, इकाइयों को निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी जाती है।

इसके अलावा, सरकार ने देश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए हैं:

महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में इक्विटी और ऋण दोनों के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए, सिडबी द्वारा संचालित स्टार्टअप योजना के लिए फंड ऑफ फंड में फंड का 10% (1000 करोड़ रुपये) महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए आरक्षित है।

महिला उद्यमियों के लिए वर्चुअल इनक्यूबेशन कार्यक्रम 3 महीने के लिए प्रो-बोनो एक्सेलेरेशन समर्थन के साथ 20 महिला नेतृत्व वाले तकनीकी स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए आयोजित किया गया था।

स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर महिला उद्यमियों को समर्पित एक वेबपेज डिजाइन किया गया है। इस पेज में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा महिला उद्यमियों के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय शामिल हैं।

महिलाओं के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ: विभाग महिला उद्यमियों पर विशेष ध्यान देने के साथ विभिन्न कार्यशालाएँ आयोजित करता है। कार्यशालाओं में विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श शामिल है और सफल उद्यमी अपनी उद्यमशीलता यात्राएँ साझा करते हैं। आयोजित सत्रों में भाग लेने वालों में कई महिलाएं शामिल थीं, जिनमें महत्वाकांक्षी और मौजूदा उद्यमी दोनों शामिल थे।

सरकार द्वारा आयोजित अपने विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से, और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से, सरकार मौजूदा योजनाओं के बारे में भी जागरूकता पैदा करती है जो महिला उद्यमियों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों का समर्थन करती हैं।

इसके अलावा, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार हैं:

स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना: स्टार्टअप इंडिया के लिए एक कार्य योजना में "सरलीकरण और सहायता", "वित्त पोषण समर्थन और प्रोत्साहन" और "उद्योग-अकादमिक साझेदारी और ऊष्मायन" जैसे क्षेत्रों में फैले 19 कार्य आइटम शामिल हैं। कार्य योजना ने देश में एक जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए परिकल्पित सरकारी समर्थन, योजनाओं और प्रोत्साहनों की नींव रखी।

स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS) योजना: सरकार ने स्टार्टअप्स की फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ एफएफएस की स्थापना की है। DPIIT निगरानी एजेंसी है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स की संचालन एजेंसी है। योजना की प्रगति और धन की उपलब्धता के आधार पर 14वें और 15वें वित्त आयोग चक्र में 10,000 करोड़ रुपये प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इसने न केवल शुरुआती चरण, बीज चरण और विकास चरण में स्टार्टअप के लिए पूंजी उपलब्ध कराई है, बल्कि घरेलू पूंजी जुटाने की सुविधा, विदेशी पूंजी पर निर्भरता कम करने और घरेलू और नए उद्यम पूंजी कोष को प्रोत्साहित करने में भी उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है।

स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS): सरकार ने सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और वेंचर डेट फंड्स द्वारा क्च्प्ज मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को दिए गए ऋणों पर क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की स्थापना की है। CGSS का उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों के विरुद्ध एक निर्दिष्ट सीमा तक क्रेडिट गारंटी प्रदान करना है। डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप को मान्यता दी।

विनियामक सुधार: व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाने, पूंजी जुटाने में आसानी और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनुपालन बोझ को कम करने के लिए 2016 से सरकार द्वारा 50 से अधिक नियामक सुधार किए गए हैं।

खरीद में आसानी: खरीद में आसानी को सक्षम करने के लिए, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को गुणवत्ता और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने के अधीन सभी DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए सार्वजनिक खरीद में पूर्व टर्नओवर और पूर्व अनुभव की शर्तों में छूट देने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, सरकारी ई-मार्केटप्लेस स्टार्टअप रनवे विकसित किया गया है जो स्टार्टअप्स के लिए उत्पादों और सेवाओं को सीधे सरकार को बेचने के लिए एक समर्पित कॉर्नर है।

बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए समर्थन: स्टार्टअप फास्ट-ट्रैक पेटेंट आवेदन परीक्षण और निपटान के लिए पात्र हैं। सरकार ने स्टार्ट-अप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण लॉन्च किया, जो स्टार्टअप्स को केवल वैधानिक शुल्क का भुगतान करके उचित आईपी कार्यालयों में पंजीकृत सुविधाकर्ताओं के माध्यम से पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के लिए आवेदन दाखिल करने की सुविधा देता है। इस योजना के तहत सुविधा प्रदाता विभिन्न आईपीआर पर सामान्य सलाह और अन्य देशों में आईपीआर की सुरक्षा और प्रचार पर जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। सरकार किसी भी संख्या में पेटेंट, ट्रेडमार्क या डिजाइन के लिए सुविधा प्रदाताओं की पूरी फीस वहन करती है, और स्टार्टअप केवल देय वैधानिक शुल्क की लागत वहन करते हैं। स्टार्टअप्स को अन्य कंपनियों की तुलना में पेटेंट दाखिल करने में 80% की छूट और ट्रेडमार्क भरने में 50% की छूट प्रदान की जाती है।

श्रम और पर्यावरण कानूनों के तहत स्व-प्रमाणन: स्टार्टअप्स को निगमन की तारीख से 3 से 5 साल की अवधि के लिए 9 श्रम और 3 पर्यावरण कानूनों के तहत अपने अनुपालन को स्व-प्रमाणित करने की अनुमति है।

3 वर्षों के लिए आयकर छूट:1 अप्रैल 2016 या उसके बाद निगमित स्टार्टअप आयकर छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन

मान्यताप्राप्त स्टार्टअप को अंतर-मंत्रालयी बोर्ड प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है, उन्हें निगमन के बाद से 10 वर्षों में से लगातार 3 वर्षों की अवधि के लिए आयकर से छूट दी जाती है।

भारतीय स्टार्टअप्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच: स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत प्रमुख उद्देश्यों में से एक विभिन्न जुड़ाव मॉडल के माध्यम से भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने में मदद करना है। यह अंतरराष्ट्रीय सरकार दर सरकार साझेदारी, अंतरराष्ट्रीय मंचों में भागीदारी और वैश्विक कार्यक्रमों की मेजबानी के माध्यम से किया गया है। स्टार्टअप इंडिया ने 15 से अधिक देशों (ब्राजील, स्वीडन, रूस, पुर्तगाल, यूके, फिनलैंड, नीदरलैंड, सिंगापुर, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, क्रोएशिया, कतर और यूएई) के साथ ब्रिज लॉन्च किया है जो साझेदार देशों से और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने में सहायता के लिए स्टार्टअप के लिए एक सॉफ्ट-लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

स्टार्टअप्स के लिए तेज निकास: सरकार ने स्टार्टअप्स को 'फास्ट ट्रैक फर्म' के रूप में अधिसूचित किया है, जिससे उन्हें अन्य कंपनियों के लिए 180 दिनों की तुलना में 90 दिनों के भीतर परिचालन बंद करने में सक्षम बनाया गया है।

स्टार्टअप इंडिया हब: सरकार ने 19 जून 2017 को एक स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन हब लॉन्च किया, जो भारत में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के सभी हितधारकों के लिए एक-दूसरे को खोजने, जुड़ने और जुड़ने के लिए अपनी तरह का एक ऑनलाइन मंच है। ऑनलाइन हब स्टार्टअप्स, निवेशकों, फंडों, सलाहकारों, शैक्षणिक संस्थानों, इनक्यूबेटर्स, एक्सेलेरेटर्स, कॉरपोरेट्स, सरकारी निकायों और बहुत कुछ को होस्ट करता है।

अधिनियम (2019) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (VII)(बी) के प्रयोजन के लिए छूट: DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) (VIII) के प्रावधानों से छूट के लिए पात्र है।

स्टार्टअप इंडिया शोकेस: स्टार्टअप इंडिया शोकेस वर्चुअल प्रोफाइल के रूप में प्रदर्शित स्टार्टअप के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से चुने गए देश के सबसे होनहार स्टार्टअप के लिए एक ऑनलाइन खोज मंच है। मंच पर प्रदर्शित स्टार्टअप स्पष्ट रूप से अपने क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ बनकर उभरे हैं। ये नवाचार फिनटेक, एंटरप्राइजटेक, सोशल इम्पैक्ट, हेल्थटेक, एडटेक जैसे विभिन्न अत्याधुनिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ये स्टार्टअप महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और उन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में असाधारण नवाचार दिखाया है। पारिस्थितिकी तंत्र हितधारकों ने इन स्टार्टअप्स का पोषण और समर्थन किया है, जिससे इस मंच पर उनकी उपस्थिति मान्य हुई है।

राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद: सरकार ने जनवरी 2020 में स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के गठन को अधिसूचित किया। पदेन सदस्यों के अलावा, परिषद में कई गैर-आधिकारिक सदस्य हैं, जो स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

स्टार्टअप इंडिया: आगे की राह: स्टार्टअप इंडिया के 5 साल के जश्न में आगे की राह का अनावरण 16 जनवरी 2021 को किया गया, जिसमें स्टार्टअप के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई योग्य योजनाएं, विभिन्न सुधारों को क्रियान्वित करने में प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका, हितधारकों की क्षमता का निर्माण और डिजिटल आत्मनिर्भर भारत के लिए सक्षम बनाना शामिल है।

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS): किसी उद्यम के विकास के शुरुआती चरण में उद्यमियों के लिए पूंजी की आसान उपलब्धता आवश्यक है। इस स्तर पर आवश्यक पूंजी अक्सर अच्छे व्यावसायिक विचारों वाले स्टार्टअप के लिए बनाने या बिगाड़ने की स्थिति प्रस्तुत करती है। इस योजना का उद्देश्य अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए स्टार्टअप को रु. 2021-22 से शुरू होने वाली 4 वर्षों की अवधि के लिए इस योजना के तहत 945 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (NSA): राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार ऐसे उत्कृष्ट स्टार्टअप और पारिस्थितिकी तंत्र समर्थकों को पहचानने और पुरस्कृत करने की एक पहल है जो रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च क्षमता वाले, मापने योग्य सामाजिक प्रभाव का प्रदर्शन करने वाले नवीन उत्पादों या समाधानों और स्केलेबल उद्यमों का निर्माण कर रहे हैं। विभिन्न ट्रैकों जैसे इन्वेस्टर कनेक्ट, मेंटरशिप, कॉर्पोरेट कनेक्ट, सरकार कनेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंच, नियामक सहायता, दूरदर्शन और स्टार्टअप इंडिया शोकेस पर स्टार्टअप चौंपियंस, आदि पर सभी फाइनलिस्टों को हैंडहोल्डिंग समर्थन प्रदान किया जाता है।

राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क (SRF): राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क प्रतिस्पर्धी संघवाद की ताकत का उपयोग करने और देश में एक समृद्ध स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के

लिए एक अनूठी पहल है। रैंकिंग अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य राज्यों को अच्छी प्रथाओं की पहचान करने, सीखने और बदलने की सुविधा प्रदान करना, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए राज्यों द्वारा नीतिगत हस्तक्षेप को उजागर करना है।

दूरदर्शन पर स्टार्टअप चैंपियंस: दूरदर्शन पर स्टार्टअप चैंपियंस कार्यक्रम एक घंटे का साप्ताहिक कार्यक्रम है जो पुरस्कार विजेता/राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की कहानियों को कवर करता है। इसे दूरदर्शन नेटवर्क के चैनलों पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रसारित किया जाता है।

स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक: सरकार राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी 16 जनवरी के आसपास स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह का आयोजन करती है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य देश के प्रमुख स्टार्टअप, उद्यमियों, निवेशकों, इनक्यूबेटरों, फंडिंग संस्थाओं, बैंकों, नीति निर्माताओं और अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को एक साथ लाना था।

सागरमाला योजना के तहत परियोजनाएं

सागरमाला भारत की 7,500 किमी लंबी तटरेखा, 14,500 किमी संभावित नौगम्य जलमार्ग और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थान का उपयोग करके देश में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना है। सागरमाला योजना के तहत, मंत्रालय राज्य सरकारों को बंदरगाह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, तटीय बर्थ परियोजनाओं, सड़क और रेल परियोजनाओं, मछली बंदरगाहों, कौशल विकास परियोजनाओं, तटीय समुदाय विकास, क्रूज टर्मिनल और रो-पैक्स नौका सेवाओं आदि जैसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

न्यायिक संस्थाओं में प्रौद्योगिकी का उपयोग

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के हिस्से के रूप में, ष्भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजनाष के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है। ई-कोर्ट परियोजना भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति और न्याय विभाग के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का चरण I 2011-2015 के बीच लागू किया गया था। परियोजना का दूसरा चरण 2015-23 तक बढ़ाया गया।सरकार ने सभी के लिए न्याय को सुलभ और उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित ई-पहल की हैं: -

- वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) परियोजना के तहत
- राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) आदेशों, निर्णयों और मामलों का एक डेटाबेस है, जिसे ईकोर्ट प्रोजेक्ट के तहत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है। यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/निर्णयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है।
- अनुकूलित फ्री और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (FOSS) पर आधारित केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर (CIS) विकसित किया गया है।
- कोविड-19 प्रबंधन के लिए एक नया सॉफ्टवेयर पैच और कोर्ट यूजर मैनुअल भी विकसित किया गया है। यह टूल मामलों की स्मार्ट शेड्यूलिंग में मदद करेगा, जिससे न्यायिक अधिकारी अत्यावश्यक मामलों को बनाए रखने और कारण सूची में गैर-अत्यावश्यक मामलों को स्थगित करने में सक्षम होंगे। हितधारकों की आसानी के लिए इस पैच के लिए एक उपयोगकर्ता मैनुअल भी जारी किया गया है।
- ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में, वकीलों/वादियों को एसएमएस पुश एंड पुल, ईमेल के माध्यम से मामले की स्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफॉर्म, बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-कोर्ट सेवा पोर्टल, जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र) और सूचना कियोस्क बनाए गए हैं। इसके अलावा, वकीलों के लिए मोबाइल ऐप और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप के साथ इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स बनाए गए हैं।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती सुनवाई करने में भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। गुजरात, गौहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालयों में अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी गई है, जिससे

मीडिया और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति मिल गई है।

- ट्रैफिक चालान मामलों को संभालने के लिए 18 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 22 वर्चुअल कोर्ट चालू किए गए हैं। 22 आभासी अदालतों द्वारा 3.26 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला गया है।
- उन्नत सुविधाओं के साथ कानूनी कागजात की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नई ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) शुरू की गई है।
- मामलों की ई-फाइलिंग के लिए शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विकल्प की आवश्यकता होती है जिसमें अदालती शुल्क, जुर्माना और दंड शामिल होते हैं जो सीधे समेकित निधि में देय होते हैं। कुल 20 उच्च न्यायालयों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ई-भुगतान लागू किया है।
- डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, 819 ई-सेवा केंद्र वकील या वादी को सुविधा प्रदान करने के इरादे से शुरू किए गए हैं, जिन्हें सूचना से लेकर सुविधा और ई-फाइलिंग तक किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। यह वादियों को ऑनलाइन ई-कोर्ट सेवाओं और कृत्यों तक पहुंचने में भी सहायता करता है। उन लोगों के लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में जो प्रौद्योगिकी का खर्च वहन नहीं कर सकते या दूर-दराज के इलाकों में स्थित हैं। यह बड़े पैमाने पर नागरिकों के बीच निरक्षरता के कारण उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने में भी सहायता करता है। इससे समय बचाने, परिश्रम से बचने, लंबी दूरी की यात्रा करने और देश भर में मामलों की ई-फाइलिंग की सुविधाएं प्रदान करके लागत बचाने, वस्तुतः सुनवाई करने, स्कैनिंग करने, ई-कोर्ट सेवाओं तक पहुंचने आदि में लाभ मिलेगा।
- ई-सेवाकेंद्रों के अलावा, दिशा (न्याय तक समग्र पहुंच के लिए डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस) योजना के हिस्से के रूप में, भारत सरकार ने 2017 से टेली लॉ कार्यक्रम शुरू किया है, जो ग्राम पंचायत में स्थित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चौट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ कानूनी सलाह और परामर्श द्वारा जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।
- सम्मन जारी करने और प्रौद्योगिकी सक्षम प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) शुरू की गई है। इसे वर्तमान में 28 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया गया है।
- बेंच द्वारा खोज, केस प्रकार, केस संख्या, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, अनुभाग, निर्णयः तिथि से, तिथि तक और पूर्ण पाठ खोज जैसी सुविधाओं के साथ एक नया "जजमेंट सर्च" पोर्टल शुरू किया गया है। यह सुविधा सभी को निःशुल्क प्रदान की जा रही है।

पीएम-डिवाइन योजना

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) को केंद्रीय बजट 2022-23 में सात परियोजनाओं की प्रारंभिक सूची और 1500 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटन के साथ 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में घोषित किया गया था।

पीएम-डिवाइन योजना के उद्देश्य हैं:

- पीएम गतिशक्ति की भावना के अनुरूप बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित करना;
- एनईआर की महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना;
- युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम बनाना; और
- विभिन्न क्षेत्रों में विकास संबंधी अंतरालों को भरना।

पीएम-डिवाइन योजना परियोजनाओं के लिए परिभाषित समय सीमा मंजूरी के लिए 2023-24 और पूरा होने के लिए 2025-26 है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए क्षमता निर्माण योजना

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए क्षमता निर्माण योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSD-E) की एक योजना है। यह योजना उद्यमिता संस्थान (IIE), गुवाहाटी, असम के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है जो MSD-E का एक स्वायत्त संस्थान है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रम को वित्त पोषित किया जाता है:

पूर्वोत्तर क्षेत्र के बुजुर्गों और जरूरतमंद आबादी को औपचारिक देखभाल सेवाओं के लिए उचित प्रावधान का विस्तार करने के लिए असंगठित देखभाल सेवा उद्योग को औपचारिक सेवा क्षेत्र उद्योग में बदलने के लिए, एक परियोजना उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) द्वारा प्रायोजित है। क्षमता निर्माण के तहत, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम आयोजित किया गया है और पूरे उत्तर पूर्व के लिए 32 मास्टर प्रशिक्षक विकसित किए गए हैं। इसके अलावा, 19 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें परियोजना के तहत 471 देखभालकर्ताओं को विकसित किया गया है।

IIE ने पिछले पांच वर्षों के दौरान असम में प्रधान मंत्री वनधन योजना (PMVDY) योजना के तहत विभिन्न क्षमता विकास गतिविधियों का संचालन किया है, जिसे भविष्य में ग्रामीण और आदिवासी अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 14 अप्रैल, 2018 को लॉन्च किया गया था। यह योजना 2019 में असम में भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE) द्वारा राज्य जनजातीय मामलों के निदेशालय (मैदान) को नोडल एजेंसी के रूप में लागू किया गया था। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (TRIFED) इस योजना की प्रायोजक एजेंसी है। पीएमवीडीवाई के तहत, ट्राइफेड ने असम के 33 जिलों में तीन चरणों में 302 वन धन विकास केंद्र क्लस्टर (वीडीवीकेसी) को मंजूरी दी है। इस योजना के माध्यम से, असम के आदिवासी समुदायों को स्थायी आजीविका के लिए समर्थन दिया जाता है, स्थानीय रूप से उपलब्ध लघु वन उपज (एमएफपी) से मूल्यवर्धित उत्पाद कैसे तैयार करें और बाद में उसकी बिक्री कैसे करें, इस पर प्रशिक्षण देकर। प्रत्येक क्लस्टर में लगभग 300 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) पंजीकृत आदिवासी महिला लाभार्थी होंगी।

इन VDVKC की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

- **वकालत कार्यक्रम:** ये मुख्य रूप से सामान्य रूप से परियोजना के बारे में लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित हैं, ताकि लाभार्थी एक निश्चित इरादे के साथ भाग ले सकें और योजना के तहत किए गए वादे के अनुसार वांछित लाभ प्राप्त करने का लक्ष्य रख सकें। परियोजना के संबंध में वकालत कार्यक्रम सभी छः VDVKC में पूरा कर लिया गया है।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रम:** कुल 1208 लाभार्थियों को 43 कौशल विकास/मूल्य-संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण विभिन्न व्यवसायों के तहत आयोजित किए गए जैसे: बांस उपयोगिता, मोमबत्ती बनाना, जलकुंभी उत्पाद बनाना, अगरबत्ती बनाना, मधुमक्खी पालन, नर्सरी प्रशिक्षण, बांस के आभूषण बनाना, जूट उत्पाद बनाना, बैग बनाना, खाद्य प्रसंस्करण, मिठाई बनाना, साबुन बनाना, वर्मी-कम्पोस्ट उत्पादन आदि।
- **बैंक खाते सभी छः** VDVKC के लिए खोल दिए गए हैं।
- **सहकारी समिति का गठन:** सहकारी समितियों के गठन के लिए तीन VDVKC के लिए आवेदन दाखिल किया गया है, जबकि तीन का गठन हो चुका है।
- विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के तहत विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए हैं। पिछले 3 वर्षों में, कुल 35,651 प्रतिभागियों ने अपने स्वयं के उद्यम शुरू किए हैं, जिनमें से अधिकांश ने घरेलू स्तर पर कृषि, हस्तशिल्प, हथकरघा, आभूषण, बेकरी, सौंदर्य और कल्याण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में शुरुआत की है।
- PMVDY के तहत अपने लाभार्थियों द्वारा उत्पादित उत्पादों का लगातार समर्थन और प्रचार कर रहा है।
- इसने लाभार्थियों द्वारा उत्पादित उत्पादों के विशेष विपणन और प्रचार के लिए "TRISSAM" नामक एक ब्रांड बनाया है।
- IIE ने विभिन्न प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और क्रेता-विक्रेता बैठकों में अपने लाभार्थियों का आयोजन और प्रचार किया है।
- IIE ने लाभार्थियों द्वारा उत्पादित उत्पादों की बिक्री के लिए असम के विभिन्न जिलों में ब्रांड TRISSAM के तहत खुदरा दुकानें खोली हैं।
- पर्याप्त ऑनलाइन ब्रांड उपस्थिति सुनिश्चित करने और ब्रांड को एक गतिशील छवि प्रदान करने के लिए, IIE की पीएमवीडीवाई टीम ने मिशन और पीएमवीडीवाई योजना के सार को सामने रखने के लिए विशेष रूप से ट्रिसम उत्पादों के लिए एक वेबसाइट विकसित की है। वेबसाइट में संभावित बाजार के अवसरों और ग्राहकों को खुदरा और साथ ही थोक ऑर्डर प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल भी शामिल है।
- वेबसाइट के अलावा, TRISSAM, इसके उत्पादों और गतिविधियों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रचारित किया जाता है।

शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम और योजनाएँ

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से विभिन्न पहल की हैं जो देश में शहरी क्षेत्रों सहित वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करती हैं। शहरी क्षेत्रों में नगर वनों के निर्माण के लिए वर्ष 2020 के दौरान नगर वन योजना (NVY) शुरू की गई है, जो स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय निकायों आदि को शामिल करके शहरी वानिकी को बढ़ावा देती है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (GIM), जिसके तहत, अन्य उप-मिशनों के अलावा, शहरी और उप-शहरी क्षेत्रों में वृक्ष आवरण को बढ़ाने के लिए एक विशिष्ट उप-मिशन है। शहरी वानिकी भी प्रतिपूरक निधि अधिनियम, 2016 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत एक अनुमेय गतिविधि है। शहरी वानिकी सहित वानिकी/वृक्षारोपण गतिविधियाँ, एक बहु-विभागीय, बहु-एजेंसी गतिविधि होने के कारण, अन्य मंत्रालयों/संगठनों के विभिन्न कार्यक्रमों/निधि स्रोतों के तहत और राज्य योजना बजट के माध्यम से भी अंतर-क्षेत्रीय रूप से की जाती हैं।

जंगल के बाहर के वृक्ष (ToF) का तात्पर्य रिकॉर्ड किए गए वन क्षेत्रों के बाहर उगने वाले सभी पेड़ों से है। दर्ज वन क्षेत्र के बाहर 1 हेक्टेयर और उससे अधिक के टुकड़े और वृक्ष आवरण, दोनों टीओएफ का गठन करते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), एमओईएफसीसी द्वारा प्रकाशित भारत राज्य वन रिपोर्ट (आईएसएफआर), 2015 के अनुसार वृक्ष आवरण 92,572 वर्ग किमी है। भारत राज्य वन रिपोर्ट (आईएसएफआर), 2021 के अनुसार वृक्ष आवरण 95,748 वर्ग किमी है। ISFR, 2021 में भारतीय वन सर्वेक्षण ने प्रमुख मेगा शहरों यानी अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में वन आवरण के लिए मैपिंग की है। इन सात प्रमुख मेगा शहरों में कुल वन क्षेत्र 509.72 वर्ग किमी बताया गया है। नगर वन योजना में नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) वाले प्रत्येक शहर में एक नगर वैन/नगर वाटिका बनाने की परिकल्पना की गई है ताकि निवासियों के लिए स्वस्थ रहने का वातावरण प्रदान किया जा सके और इस प्रकार स्वच्छ, हरित, स्वस्थ और टिकाऊ शहरी विकास में योगदान दिया जा सके। नगर वन योजना की मुख्य विशेषताएं हैं:

- शहरी व्यवस्था में हरित स्थान और सौंदर्यपरक वातावरण का निर्माण करना।
- पौधों और जैव विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करना और पर्यावरण प्रबंधन का विकास करना।
- क्षेत्र की महत्वपूर्ण वनस्पतियों के यथास्थान संरक्षण की सुविधा प्रदान करना।
- प्रदूषण कम करके, स्वच्छ हवा प्रदान करके, शोर में कमी करके, जल संचयन करके और ताप द्वीपों के प्रभाव को कम करके शहरों के पर्यावरण सुधार में योगदान देना।
- शहर के निवासियों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना और
- शहरों को जलवायु के अनुकूल बनने में मदद करना।

छोटी नदियों के संरक्षण की योजना

नदियों में प्रवाह एक गतिशील मानक है और यह कई उप-मानदंडों पर निर्भर करता है जैसे वर्षा, इसके वितरण प्रतिरूप, जलग्रहण क्षेत्र में अवधि और तीव्रता, जलग्रहण क्षेत्र का स्वास्थ्य, वनस्पति और पानी की निकासी/उपयोग। केंद्रीय जल आयोगदेश भर की नदियों पर हाइड्रोलॉजिकल अवलोकन करता है। देश की प्रमुख/महत्वपूर्ण नदियों के लिए सीडब्ल्यूसी द्वारा पिछले 20 वर्षों से बनाए रखा गया वार्षिक औसत प्रवाह डेटा जल उपलब्धता में किसी महत्वपूर्ण गिरावट का संकेत नहीं देता है।

सरकार ने जल संरक्षण और छोटी नदियों के पुनर्जीवन के लिए "जल आंदोलन को जन-आंदोलन" बनाने के अभियान सहित कई कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं;

- माननीय प्रधान मंत्री ने 22 मार्च 2021, विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (सीटीआर) अभियान शुरू किया, जिसका विषय था - "कैच द रेन, व्हेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स" ताकि सभी ब्लॉकों को कवर किया जा सके। प्री-मॉनसून और मॉनसून अवधि के दौरान देश भर के जिलों (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों) में। अभियान के केंद्रित हस्तक्षेपों में (1) जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन (2) सभी जल निकायों की गणना, जियो-टैगिंग और सूची बनाना शामिल है; इसके आधार पर जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजनाएं तैयार करना, छोटी नदियों का पुनर्जीवन (3) सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों की स्थापना (4) सघन वनीकरण और (5) जागरूकता पैदा करना।
- "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" -2022 की अभियान अवधि के दौरान जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाएँ बनाई गईं और पारंपरिक जल निकायों का कायाकल्प किया गया। जल शक्ति केंद्र भी स्थापित किये गये।

- "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" 2023 को "पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता"थीम के साथ पूरे देश में कार्यान्वयन के लिए लॉन्च किया गया था, इस दौरान देश के 150 जल संकटग्रस्त जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- जल संसाधन विभाग, आरडी एंड जीआर ने जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण में अच्छी प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार और मासिक जल नायक प्रतियोगिता की शुरुआत की है।
- वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण सहित जल संरक्षण पहल को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में हर साल समय-समय पर जन जागरूकता कार्यक्रम (प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां और व्यापार किराया आदि) आयोजित किए जाते हैं।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जल संसाधन, आरडी और जीआर विभाग और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के परामर्श और समझौते से निधियों का लाभकारी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 'मिशन जल संरक्षण' नामक प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) के लिए एक कार्रवाई योग्य ढांचा विकसित किया है। रूपरेखा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, पूर्ववर्ती एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास घटक और कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन में तालमेल सुनिश्चित करने के लिए उनके सामान्य उद्देश्य दिए गए हैं। इन कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत किए जाने वाले सामान्य कार्यों के प्रकार हैं: जल संरक्षण और प्रबंधन, जल संचयन, मिट्टी और नमी संरक्षण,भूजल पुनर्भरण, बाढ़ सुरक्षा, भूमि विकास, कमांड क्षेत्र विकास और वाटरशेड प्रबंधन।
- सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को देश में जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में प्रयासों पर जोर देने के लिए अनिवार्य रूप से भागीदारी मोड के माध्यम से समुदायों को शामिल करके छोटी नदियों को पुनर्जीवित करना होगा। गतिविधियों में मौजूदा जल स्रोतों का संवर्धन, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और धूसर जल प्रबंधन और पुनर्भरण शामिल हैं।
- माननीय प्रधान मंत्री ने अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ किया। मिशन का उद्देश्य आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के एक भाग के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है।
- राष्ट्रीय नदी गंगा और उसकी सहायक नदियों के एकीकृत कायाकल्प के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, बड़ी संख्या में छोटी सहायक नदियों को उनके जलग्रहण क्षेत्र/जलग्रहण क्षेत्र और आर्द्रभूमि के साथ मैप किया गया है। अतिरिक्त जिलेवार जानकारी के साथ छोटी नदियों की एक जीआईएस आधारित सूची भी बनाई गई है। इसके अलावा, वैज्ञानिक/तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए भागीदार संस्थानों के रूप में आईआईटी कानपुर और अन्य शैक्षणिक संस्थानों जैसे आईआईटी-बीएचयू, बीबीएयू, एनआईएच के नेतृत्व में सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान की गई।
- इनके अलावा, राज्य सरकारों ने भी जल संरक्षण और छोटी नदियों के पुनर्जीवन के लिए कई विशेष कार्यक्रम शुरू किए हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना, 1952 कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत बनाई गई तीन योजनाओं में से एक है। EPF योजना, 1952 का उद्देश्य कार्यरत कर्मचारियों को ईपीएफ के अंतर्गत प्रतिष्ठानों में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ईपीएफ योजना, 1952 के तहत, किसी भी कवर किए गए प्रतिष्ठान का एक कर्मचारी जो रुपये तक मासिक वेतन प्राप्त करता है। फंड में शामिल होने और वेतन का 12% योगदान करने के लिए वैधानिक रूप से 15,000 रुपये की आवश्यकता होती है, जिसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो, शामिल है। नियोक्ता को भी वेतन का 12% योगदान देना आवश्यक है। कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन एक न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें केंद्र सरकार, नियोक्ता, कर्मचारी और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं

ईपीएफ योजना, 1952 का एक सदस्य ईपीएफ से विभिन्न उद्देश्यों (जैसे कि आवास की खरीद/निर्माण, बीमारी, शिक्षा, विवाह, कोविड-19, आदि) के लिए निकासी और अग्रिम के लाभ का हकदार है। उक्त योजना में निहित प्रावधान. एक सदस्य प्रत्येक वर्ष अपने पीएफ संचय पर ब्याज जमा करने का भी हकदार है।

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (च्ङन्ल)

देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिला सदस्य के नाम पर जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए 2016 में प्रधान

मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) शुरू की गई थी। 8 करोड़ कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य सितंबर, 2019 में हासिल किया गया था। शेष गरीब परिवारों को शामिल करने के लिए, PMUY चरण -2 (उज्ज्वला 2.0) को 1 करोड़ अतिरिक्त PMUY कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य के साथ अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसे जनवरी 2022 में हासिल किया गया था। इसके बाद, सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के तहत 60 लाख और एलपीजी कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया और 01.01.2023 तक 1.60 करोड़ उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन का लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया गया है। उज्ज्वला 2.0 के तहत, प्रवासी परिवारों के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है जो PMUY कनेक्शन के लिए आवेदन करने के लिए पते और राशन कार्ड के प्रमाण के बजाय स्व-घोषणा का उपयोग कर सकते हैं।

बाल श्रम मुक्त भारत के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

सरकार ने बाल श्रम की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 बनाया, जिसे 2016 में संशोधित किया गया। संशोधित अधिनियम को अब बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम कहा जाता है। 1986 जो अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी व्यवसाय और प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों के खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम या रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सचिव (श्रम और रोजगार) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है जिसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खान मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। समिति बाल श्रम की रोकथाम के लिए मंत्रालयों और क्षेत्रों में प्रयासों का समन्वय करती है।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रवासी, लड़की और एससी/एसटी बच्चों सहित बाल श्रम के उन्मूलन के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कार्य बिंदुओं की गणना करते हुए मॉडल राज्य कार्य योजना तैयार की है।

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा कार्यान्वित शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर वार्षिक योजनाएं तैयार की जाती हैं और यह उनकी संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट प्रस्ताव में परिलक्षित होती हैं। प्रस्तावों के मूल्यांकन के दौरान, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से स्कूल न जाने वाले बच्चों (OoSC) की पहचान के उद्देश्य से सालाना हाउस होल्ड सर्वेक्षण आयोजित करने का अनुरोध किया जाता है। इसमें ड्रॉप आउट और कभी नामांकित नहीं हुए बच्चे शामिल हैं।

योजना के तहत, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को स्कूल न जाने वाले बच्चों (ओओएससी) की पहचान के लिए घरेलू सर्वेक्षण करना आवश्यक है। इस विभाग ने प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा पहचाने गए ओओएससी के डेटा को संकलित करने और प्रबंधन पोर्टल पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) के साथ उनकी मैपिंग के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है। संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ओओएससी की मुख्यधारा की प्रगति की निगरानी के लिए राज्य के संबंधित ब्लॉक संसाधन केंद्र द्वारा अपलोड की गई पहचान की गई ओओएससी और एसटीसी की बच्चेवार जानकारी को मान्य करता है।

'मिशन शक्ति-महिला सशक्तिकरण का केंद्र' पर कार्यक्रम

राज्य नोडल अधिकारियों और राज्य मिशन समन्वयकों के लिए 'मिशन शक्ति-महिला सशक्तिकरण का केंद्र' पर पहला क्षमता निर्माण कार्यक्रम NIPCCD नई दिल्ली में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान(NIPCCD) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित किया गया।

हाथ से मैला ढोने वालों का पुनर्वास

मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 मैनुअल स्कैवेंजिंग और सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा, सरकार ने सीवरों और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई से बचने के लिए निम्नलिखित पहल की है:

- NSKFDC की स्वच्छता उद्यमी योजना के तहत, सफाई कर्मचारियों, मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके आश्रितों और शहरी स्थानीय निकायों और सफाई के लिए जिम्मेदार अन्य एजेंसियों को सभी सफाई कार्यों के पूर्ण मशीनीकरण के लिए स्वच्छता

संबंधी उपकरणों/वाहनों की खरीद के लिए रियायती ऋण प्रदान किए जाते हैं।

- मैनुअल स्कैवेंजर्स (SRMS) के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र स्व-रोजगार योजना के तहत मैनुअल स्कैवेंजर्स के अलावा, स्वच्छता श्रमिकों और उनके आश्रितों को सीवर और सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई के लिए उपकरणों/वाहनों की खरीद के लिए 5.00 लाख रुपये रुपये तक की पूंजी सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।
- नगर पालिकाओं में शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों, इंजीनियरों, ठेकेदारों, सफाई कर्मचारियों आदि के साथ कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं ताकि उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ सफाई प्रथाओं और सीवरों और सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई के बारे में जागरूक किया जा सके। वित्त वर्ष 2022-23 में पूरे भारत के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में लगभग 203 ऐसी कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं।
- स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए एक छोटी अवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम (आरपीएल) आयोजित किया जाता है जिसमें उन्हें मशीनीकृत सफाई, सुरक्षित और स्वस्थ सफाई प्रथाओं, सुरक्षा सावधानियों, पीपीई किट के उपयोग में प्रशिक्षित किया जाता है।

विशेष रूप से खतरनाक सफाई से निपटने के लिए, सरकार ने 'नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सेनिटेशन इकोसिस्टम' (नमस्ते) नामक एक नई योजना तैयार की है, जिसके उद्देश्य इस प्रकार हैं: -

- मैनुअल स्केवेंजर्स और सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई में लगे व्यक्तियों का औपचारिकीकरण और पुनर्वास।
- प्रशिक्षित और प्रमाणित स्वच्छता कार्यकर्ताओं के माध्यम से सीवर और सेप्टिक टैंकों की सुरक्षित और मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देना।

नमस्ते का लक्ष्य निम्नलिखित परिणाम प्राप्त करना है:

- भारत में स्वच्छता कार्य में शून्य मृत्यु
- सभी स्वच्छता कार्य औपचारिक रूप से कुशल श्रमिकों द्वारा किए जाएंगे
- किसी भी सफाई कर्मचारी को मानव मल के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए
- मशीनीकृत स्वच्छता सेवाओं की सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों को मजबूत और सक्षम बनाना
- स्वच्छता कार्यकर्ताओं को एसएचजी में एकत्रित किया जाता है और उन्हें स्वच्छता उद्यम चलाने का अधिकार दिया जाता है
- सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को भी स्वच्छता संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करके आजीविका तक पहुंच प्राप्त है।
- स्वच्छता सेवा चाहने वालों (व्यक्तियों और संस्थानों) के बीच केवल पंजीकृत निजी स्वच्छता सेवा संगठनों और कुशल और प्रमाणित स्वच्छता कार्यकर्ताओं से सेवाएं लेने के लिए जागरूकता बढ़ी है।
- सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों और मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके परिवार के सदस्यों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करना।
- सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों को व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण।

मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना के तहत निम्नलिखित पुनर्वास लाभ प्रदान किए गए हैं:,

- सभी चिन्हित और पात्र 58098 मैनुअल स्कैवेंजरों को प्रति परिवार 40,000/- रुपये की एकमुश्त नकद सहायता प्रदान की गयी हैं।
- वैकल्पिक स्व-रोजगार परियोजनाएं शुरू करने के लिए 2313 चिन्हित मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके आश्रितों को 5,00,000/- रुपये तक की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की गयी है।
- हाथ से मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान 3,000/- प्रति माह रुपये की दर से वजीफा देकर कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षित उम्मीदवारों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और स्थायी रोजगार के लिए सहायता भी प्रदान की जाती है।
- सभी चिन्हित हाथ से मैला ढोने वालों के परिवारों को आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संगठन से समृद्धि अभियान

मंत्रालय ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनका लगातार पोषण और समर्थन करने के उद्देश्य से पूरे देश में (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) दीनदयाल अंत्योदय

योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लागू कर रहा है। यह सहायता तब तक जारी रहती है जब तक कि वे समय के साथ आय में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल नहीं कर लेते, अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं कर लेते और घोर गरीबी से बाहर नहीं आ जाते। मंत्रालय ने डीएवाई-एनआरएलएम के तहत छूटे हुए पात्र, कमजोर और हाशिए पर रहने वाले ग्रामीण परिवारों (एचएच) को स्वयं सहायता समूहों में लाने के उद्देश्य से 18 अप्रैल से 30 जून 2023 तक "संगठन से समृद्धि अभियान" का आयोजन किया।

सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC-2011) डेटाबेस के अनुसार कम से कम एक वंचित परिवार, गरीबों की भागीदारी पहचान की प्रक्रिया के माध्यम से पहचाने जाने वाले और संबंधित ग्राम सभा द्वारा विधिवत जांच किए गए तथा मिशन के तहत कवरेज किये गए परिवार पात्र हैं।

फेम इंडिया योजना

भारत में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम इंडिया) योजना चरण-II को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि के लिए कुल 10,000 करोड़ बजटीय समर्थन के साथ लागू किया जा रहा है। यह चरण मुख्य रूप से सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण का समर्थन करने पर केंद्रित है, और इसका लक्ष्य मांग प्रोत्साहन के माध्यम से 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-3 व्हीलर, 55000 ई-4 व्हीलर यात्री कारों और 10 लाख ई-2 व्हीलर का समर्थन करना है। इसके अलावा, योजना के तहत चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण का भी समर्थन किया जाता है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम इंडिया योजना के चरण-I के तहत 520 चार्जिंग स्टेशन/इंफ्रास्ट्रक्चर को मंजूरी दी थी। इसके अलावा, इस मंत्रालय ने फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण के तहत 25 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 68 शहरों में 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और 9 एक्सप्रेसवे और 16 राजमार्गों पर 1576 चार्जिंग स्टेशन भी स्वीकृत किए हैं।

भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रोत्साहन/सब्सिडी देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण करना (FAME India): सरकार ने 1 अप्रैल, 2019 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि के लिए FAME इंडिया योजना के चरण-II को अधिसूचित किया, जिसमें कुल बजटीय सहायता रु. 10,000 करोड़. फेम-इंडिया योजना चरण-II के तहत, इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: सरकार ने 15 सितंबर 2021 को वाहनों के घरेलू विनिर्माण को समर्थन देने के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी। इस पीएलआई योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया गया है।
- एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) के लिए पीएलआई योजना: सरकार ने को देश में एसीसी के निर्माण के लिए पीएलआई योजना को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दे दी। इस योजना में देश में 50 गीगावॉट के लिए प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, 5GWh विशिष्ट एसीसी प्रौद्योगिकियों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- ईवी पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है; ईवी के लिए चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने घोषणा की कि बैटरी चालित वाहनों को हरी लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।
- MoRTH ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों (ईवी) पर सड़क कर माफ करने की सलाह दी, जिससे ईवी की शुरुआती लागत कम करने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र

भारत सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के अनुदैर्ध्य इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (ईएचआर) बनाने के लिए स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर स्वास्थ्य डेटा की अंतरसंचालनीयता को सक्षम करने वाला एक मंच बनाना है।

'डिजाइन द्वारा गोपनीयता' एबीडीएम के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है और इसे फेडरेटेड डिजिटल आर्किटेक्चर के सिद्धांतों के बाद लागू किया गया है। इसलिए डेटा का कोई केंद्रीकृत

भंडार नहीं है। एबीडीएम मरीज की सहमति के बाद एबीडीएम नेटवर्क पर इच्छित हितधारकों के बीच सुरक्षित डेटा विनिमय की सुविधा प्रदान करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एबीडीएम की कार्यान्वयन एजेंसी है।

एबीडीएम के तहत, डिजाइन द्वारा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने और इसे एकीकृत समाधानों में एम्बेड करने के लिए, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 14 दिसंबर 2020 को स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति (एचडीएम नीति) जारी की गई थी। यह एक मार्गदर्शन दस्तावेज है, जो गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है जिसका पालन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) पारिस्थितिकी तंत्र के सभी प्रतिभागियों/हितधारकों द्वारा किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति निर्दिष्ट करती है कि कोई भी डेटा व्यक्ति की सहमति के बिना किसी अन्य इकाई के साथ साझा नहीं किया जाएगा।

पर्याप्त सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए, एनएचए ने एबीडीएम आईटी समाधानों को डिजाइन, विकसित, कार्यान्वित, संचालित और बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के पैनल में शामिल टियर 3 क्लाउड सेवा प्रदाता को भी शामिल किया है।

मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) और डेटा संरक्षण अधिकारी सुरक्षा सुरक्षा उपायों की समय-समय पर समीक्षा करते हैं और ऐसे सुरक्षा उपायों को अद्यतन करने के लिए उचित उपाय करते हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी आईटी प्रणाली को कम्प्यूटेशनल परतों में महत्वपूर्ण सुरक्षा खतरों से बचाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। अपने आईटी पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा खतरों और अनुपालन, बुनियादी ढांचे, एप्लिकेशन और अन्य सुरक्षा डोमेन को कवर करने वाले स्थायी शमन उपायों से सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं पर विचार करते हुए विशिष्ट मॉडल की संकल्पना की गई है।

डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

पशुपालन एवं डेयरी विभाग फरवरी-2014 से पूरे देश में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम योजना लागू कर रहा है। इस योजना को निम्नलिखित दो घटकों और उनके संबंधित उद्देश्यों के साथ 2021-22 से 2025-26 तक कार्यान्वयन के लिए पुनर्गठित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है:

- राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम का घटक 'ए' पूरे देश में राज्य सहकारी डेयरी संघों/जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ/एसएचजी/दुग्ध उत्पादक कंपनियों/किसानों/ उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्ता वाले दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक शीतलन सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण/मजबूतीकरण पर केंद्रित है।
- राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम योजना के घटक 'बी' "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य किसानों की संगठित बाजार तक पहुंच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन बुनियादी ढांचे को उन्नत करके और उत्पादक स्वामित्व वाले संस्थानों की क्षमता को बढ़ाकर दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री बढ़ाना है।

सहकार से समृद्धि योजना

"सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण को साकार करने, देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने, जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को गहरा करने और सहकारी समितियों के प्रदर्शन, उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए, सहकारिता मंत्रालय द्वारा विभिन्न पहल की गई हैं। जैसे:

प्राथमिक सहकारी समितियों को पारदर्शी और आर्थिक रूप से जीवंत बनाना (14 पहल)

- **PACS के लिए मॉडल उपनियम उन्हें बहुउद्देशीय, बहुआयामी और पारदर्शी संस्थाएँ बनाते हैं:** PACS को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियाँ करने में सक्षम बनाने के लिए उनके संबंधित राज्य सहकारी अधिनियम के अनुसार अपनाने के लिए सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को तैयार और परिचालित किया गया। मॉडल उपनियमों को 27 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अपनाया गया है।
- कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से PACS को सुदृढ़ बनाना: 2,516 करोड़ के परिव्यय के साथ ईआरपी आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर 63,000 पैक्स को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई।
- शामिल न की गयी पंचायतों में नई बहुउद्देशीय PACS /डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियां: अगले पांच वर्षों में प्रत्येक पंचायत/गांव को कवर करते हुए 2 लाख नए बहुउद्देश्यीय PACS या प्राथमिक डेयरी/मत्स्य पालन सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी गई है।

- **सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत खाद्य सुरक्षा अनाज भंडारण योजना सुनिश्चित करना:** PACS स्तर पर अनाज भंडारण के लिए गोदाम और अन्य कृषि-इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट क्रियान्वित किया जा रहा है।
- **ई-सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए PACS को सामान्य सेवा केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है:** 17,000 से अधिक PACS अपनी व्यवहार्यता में सुधार करने, ई-सेवाएं प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए सामान्य सेवा केंद्र के रूप में शामिल हुए।
- **पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन:** उन ब्लॉकों में पैक्स द्वारा 1,100 अतिरिक्त एफपीओ का गठन किया जाएगा जहां अभी तक एफपीओ का गठन नहीं हुआ है या ब्लॉक किसी भी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं।
- **खुदरा पेट्रोल/डीजल दुकानों के लिए PACS को प्राथमिकता दी गई:** खुदरा पेट्रोल/डीजल दुकानों के आवंटन के लिए PACS को संयुक्त श्रेणी 2 में शामिल किया गया है। थोक पेट्रोल पंप लाइसेंस वाले मौजूदा PACS को खुदरा दुकानों में बदलने की अनुमति दी गयी है।

8. **PACS अपनी गतिविधियों में विविधता लाने के लिए एलपीजी वितरकशिप के लिए पात्र है:** PACS को अब एलपीजी वितरकों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है।

9. **ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक दवाओं की पहुंच में सुधार के लिए जन औषधि केंद्र के रूप में PACS:** PACS को प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र संचालित करने की अनुमति दी गई है जो उन्हें अतिरिक्त आय स्रोत प्रदान करेगा।

10. **उर्वरक के लिए PACS को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में वितरण:**देश में किसानों तक उर्वरक और संबंधित सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र संचालित करने की अनुमति दी गई है।

- **ऊर्जा सुरक्षा के लिए PACS स्तर पर पीएम-कुसुम का अभिसरण:** PACS से जुड़े किसान सौर कृषि जल पंप अपना सकते हैं और अपने खेतों में फोटोवोल्टिक मॉड्यूल स्थापित कर सकते हैं।
- **PACS ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं (पीडब्ल्यूएस) का संचालन एवं रखरखाव करेगी:** PACS को ग्रामीण क्षेत्रों में PWS के संचालन और रखरखाव करने की अनुमति दी गई है।
- **दरवाजे पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बैंक मित्र सहकारी समितियों को माइक्रो-एटीएम सेवा:** सहकारी बैंकों द्वारा अब डेयरी, मत्स्य पालन जैसी सहकारी समितियों को माइक्रो-एटीएम दिए जा रहे हैं।
- **दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को रूपे किसान क्रेडिट कार्ड:** तुलनात्मक रूप से कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से सहकारी समितियों के सदस्यों को रूपे किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं।

शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों को मजबूत बनाना (9 पहल)

- यूसीबी को अब अपना कारोबार बढ़ाने के लिए नई शाखाएं खोलने की अनुमति मिल गई है।
- आरबीआई द्वारा यूसीबी को अपने ग्राहकों को डोरस्टेप सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है।
- सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों का एकमुश्त निपटान करने की अनुमति दी गई है।
- यूसीबी को दिए गए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय सीमा बढ़ाई गई।
- यूसीबी के साथ नियमित बातचीत के लिए आरबीआई में एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
- आरबीआई द्वारा ग्रामीण और शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा दोगुनी से अधिक कर दी गई है।
- ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक रियल एस्टेट/आवासीय आवास क्षेत्र को ऋण देने में सक्षम होंगे, जिससे उनके व्यवसाय में विविधता आएगी।
- सहकारी बैंकों को 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (एईपीएस) से जोड़ने के लिए लाइसेंस शुल्क को लेनदेन की संख्या से जोड़कर कम कर दिया गया है।
- ऋण देने में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गैर-अनुसूचित यूसीबी, एसटीसीबी और डीसीसीबी को सीजीटीएमएसई योजना में सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) के रूप में अधिसूचित किया गया है।

आयकर अधिनियम में सहकारी समितियों को राहत (6 पहल)

- 1 से 10 करोड़ रुपये से कम आय वाली सहकारी समितियों के लिए अधिभार 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है।
- सहकारी समितियों के लिए MAT 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया।
- आईटी अधिनियम की धारा 269ST के तहत सहकारी समितियों द्वारा नकद लेनदेन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
- 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों के लिए 30% तक की वर्तमान दर और अधिभार की तुलना में 15% की एक समान कम कर दर ली जाएगी।
- सहकारी समितियों के लिए नकद निकासी की सीमा बिना टीडीएस के 1 करोड़ से रु. प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपये से बढ़ाई गई।

सहकारी चीनी मिलों का पुनरुद्धार (4 पहल)

- **चीनी सहकारी मिलों को आयकर से राहत:** किसानों को उचित और लाभकारी या राज्य सलाहित मूल्य तक अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान करने के लिए चीनी सहकारी मिलों पर अतिरिक्त आयकर नहीं लगाया जाएगा।
- **चीनी सहकारी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लंबित मुद्दों का समाधान:** चीनी सहकारी समितियों को मूल्यांकन वर्ष 2016-17 से पहले की अवधि के लिए गन्ना किसानों को उनके भुगतान को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति दी गई, जिससे लगभग 10,000 करोड़. रुपये की राहत मिली।
- **चीनी सहकारी मिलों को मजबूत करने के लिए एनसीडीसी द्वारा 10,000 करोड़ रुपये की ऋण योजना शुरू की गयी:** योजना का उपयोग इथेनॉल संयंत्र या सह-उत्पादन संयंत्र स्थापित करने या कार्यशील पूंजी के लिए या तीनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
- **इथेनॉल की खरीद में सहकारी चीनी मिलों को प्राथमिकता:** भारत सरकार द्वारा इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) के तहत इथेनॉल खरीद के लिए सहकारी चीनी मिलों को निजी कंपनियों के बराबर रखा जाएगा।

राष्ट्रीय स्तर पर तीन नई बहु-राज्य सोसायटी (3 पहल)

- **प्रमाणित बीजों के लिए नई राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी बीज सोसायटी:** एक ही ब्रांड के तहत गुणवत्तापूर्ण बीज की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए एक छत्र संगठन के रूप में एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत नई शीर्ष बहु-राज्य सहकारी बीज सोसायटी की स्थापना की गई।
- **जैविक खेती के लिए नई राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी जैविक सोसायटी:** प्रमाणित और प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विपणन के लिए एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत एक छत्र संगठन के रूप में स्थापित नई शीर्ष बहु-राज्य सहकारी जैविक सोसायटी।
- **निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी निर्यात सोसायटी:** सहकारी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक छत्र संगठन के रूप में एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत नई शीर्ष बहु-राज्य सहकारी निर्यात सोसायटी की स्थापना की गई।

सहकारी समितियों में क्षमता निर्माण (3 पहल)

- **विश्व के सबसे बड़े सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना:** सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान और विकास और प्रशिक्षित जनशक्ति की स्थायी और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।
- **सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण की नई योजना:** सहकारी आंदोलन को मजबूत करना, VAMNICOM, NCCT और JCTC के संकाय की क्षमता का निर्माण करना, सहकारी क्षेत्र के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देना आदि।
- **राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से प्रशिक्षण एवं जागरूकता को बढ़ावा देना(NCCT):** एनसीसीटी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

'व्यवसाय करने में आसानी' के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग (2 पहल)

- केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय को मजबूत करने के लिए कम्प्यूटरीकरण: यह बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगा, जो समयबद्ध तरीके से अनुप्रयोगों और सेवा अनुरोधों को संसाधित करने में सहायता करेगा।

- **राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आरसीएस के कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण की योजना:** सहकारी समितियों के लिए व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाना और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पारदर्शी कागज रहित विनियमन के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।

अन्य पहल (7 पहल)

- **प्रामाणिक और अद्यतन डेटा भंडार के लिए नया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस:** नीति निर्माण और कार्यान्वयन में हितधारकों की सुविधा के लिए देश में सहकारी समितियों का डेटाबेस तैयार करना शुरू किया गया।
- **नई राष्ट्रीय सहकारी नीति का निर्माण:** 'सहकार-से-समृद्धि' के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए नई राष्ट्रीय सहकारी नीति तैयार करने के लिए देश भर से आए 49 विशेषज्ञों और हितधारकों की एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया।
- **बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2022:** 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को शामिल करने, शासन को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही बढ़ाने और बहु राज्य सहकारी समितियों में चुनावी प्रक्रिया में सुधार करने के लिए एमएससीएस अधिनियम, 2002 में संशोधन करने के लिए संसद में विधेयक पेश किया गया।
- **GeM पोर्टल पर सहकारी समितियों को 'खरीदार' के रूप में शामिल करना:** सहकारी समितियों को GeM पर 'खरीदार' के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति दी गई, जिससे उन्हें किफायती खरीदारी और अधिक पारदर्शिता की सुविधा के लिए लगभग 40 लाख विक्रेताओं से सामान और सेवाएं खरीदने में सक्षम बनाया गया।
- **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का दायरा बढ़ाने के लिए इसका विस्तार:** एनसीडीसी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों के लिए नई योजनाएं शुरू की गईं, जैसे एसएचजी के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार'; दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार'; डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' और मछली पालन के लिए 'नील सहकार'।
- **कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) का कम्प्यूटरीकरण:** दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को मजबूत करने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना शुरू की जा रही है।
- **सहारा ग्रुप ऑफ सोसाइटीज के निवेशकों को रिफंड:** सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को उचित पहचान और उनकी जमा राशि और दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद पारदर्शी तरीके से भुगतान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई योजनाओं और पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित अनुवर्ती बैठकें आयोजित की जाती हैं और यदि कोई हो तो सुधार के लिए फीडबैक लिया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है। मंत्रालय द्वारा शीर्ष से लेकर जिला सहकारी रजिस्ट्रार के स्तर तक विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकारों को नियमित संचार भी भेजा जाता है। इसके अलावा, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के साथ उनकी योजनाओं के अभिसरण पर समन्वय और कठिनाइयों को दूर करने के लिए बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि सहकारी समितियों के प्रदर्शन, उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाया जा सके।

सहकारी समितियों के लिए उद्योग-अकादमिक संबंध

सहकारिता मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त सोसायटी एनसीसीटी (राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद) द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण, जागरूकता और अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों में क्षेत्र के विशेषज्ञों और चिकित्सकों की निरंतर भागीदारी के माध्यम से सहकारी समितियों के लिए उद्योग-अकादमिक संबंध सुनिश्चित किए जाते हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उद्योग-अकादमिक संबंध एनसीसीटी के 19 क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय संस्थानों में कार्यक्रम सलाहकार समिति (पीएसी) के एक संस्थागत तंत्र के माध्यम से बनाया गया है। पीएसी का नेतृत्व संबंधित राज्य की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है और पीएसी के अन्य सदस्यों में राज्य सहकारी संघों के मुख्य कार्यकारी, संबंधित राज्य के उद्योग, हथकरघा, मत्स्य पालन, कृषि निदेशक, उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञ आदि शामिल होते हैं।

इसके अलावा, सहकारी क्षेत्र में उद्योग-शैक्षणिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उद्योग/क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ सेमिनार/वेबिनार, चिकित्सकों के व्याख्यान, उद्योग प्रदर्शन दौरे और इंटर्नशिप भी नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

ACROSS योजना

वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएँ (ACROSS) अम्ब्रेला योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के वायुमंडलीय विज्ञान कार्यक्रमों से संबंधित है। मौसम/जलवायु भविष्यवाणी के संपूर्ण दायरे में अवलोकन प्रणाली, मौसम संबंधी टिप्पणियों को आत्मसात करना, प्रक्रियाओं को समझना, गतिशील मॉडल का अनुसंधान और विकास और पूर्वानुमान सेवाएं प्रदान करना शामिल है। इनमें से प्रत्येक पहलू को अम्ब्रेला स्कीम ।ब्कै के तहत उप-योजना के रूप में शामिल किया गया है और इसे डवमै के तहत चार अलग-अलग संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), नेशनल सेंटर फॉर डिम रेंज वेडर फोरकास्टिंग (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ), भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) जो उप-योजनाओं में से एक का एक छोटा सा हिस्सा लागू करता है।

ACROSS योजना के तहत हुई प्रगति नीचे सूचीबद्ध है:

- 12 किमी के उच्च क्षैतिज रिजॉल्यूशन पर नियतात्मक और संभाव्य पूर्वानुमान उत्पन्न करने के लिए वैश्विक उन्नत मौसम भविष्यवाणी मॉडल और एन्सेम्बल भविष्यवाणी प्रणाली का विकास। इसके अलावा, उच्च रिजॉल्यूशन वाले क्षेत्रीय मॉडल भी विकसित किए गए हैं।
- पिछले कुछ वर्षों से, आईएमडी के मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियों, विशेष रूप से चक्रवात की भविष्यवाणी के कौशल में काफी सुधार हुआ है।
- दिल्ली में अत्यधिक वायु प्रदूषण की घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए दिल्ली के लिए अपनी तरह की पहली उच्च-रिजॉल्यूशन वाली वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित की गई है। उपग्रह और सतह रासायनिक डेटा संयोजन दोनों का उपयोग करके परिचालन वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के लिए एक बहुत उच्च-रिजॉल्यूशन (400 मीटर) मॉडल विकसित किया गया है।
- 2018 में 6.8 पेटाफ्लॉप हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर (एचपीसी) की खरीद।
- डॉप्लर मौसम रडार नेटवर्क की संख्या बढ़ाकर 37 कर दी गई है।
- एक बहु-मिशन मौसम संबंधी डेटा प्राप्त करने और प्रसंस्करण प्रणाली (एमएमडीआरपीएस) स्थापित की गई है। वर्ष 2021-22 में लॉन्च होने वाले वर्तमान में चालू जियोस्टेशनरी उपग्रहों INSAT-3D, INSAT-3DR और INSAT-3DS से डेटा प्राप्त करने के लिए सिस्टम में तीन समर्पित अर्थ स्टेशन और डेटा प्राप्त करने वाली प्रणाली है।
- विशाखापत्तनम, मछलीपट्टनम, चेन्नई, गोवा, कुड्डालोर, भुवनेश्वर, काकीनाडा, पुरी, ओंगोल, दीघा, कवाली, हल्दिया, पंबन, गोपालपुर, कन्याकुमारी, वेरावल और भुज में सत्रह (17) हाई विंड स्पीड रिकॉर्डर (HWSR) स्थापित किए गए थे।
- पहले से मौजूद 130 एएमएफयू के अलावा कृषि मौसम संबंधी सलाह प्रदान करने के लिए 199 नई कृषि-मौसम क्षेत्र इकाइयों (AMFU) की स्थापना।
- आईएमडी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के सहयोग से सप्ताह में दो बार कृषि-मौसम संबंधी सलाह प्रदान करता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) द्वारा प्रकाशित एक हालिया मूल्यांकन रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि मौसम और पूर्वानुमान सेवाओं को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए निवेश से किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को काफी आर्थिक लाभ मिल रहा है। मॉनसून मिशन और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर के माध्यम से भारत के लगभग 1,000 करोड़ रुपये के निवेश से पांच साल की अवधि में देश में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वाले 10.7 मिलियन कृषि परिवारों और 0.53 मिलियन बीपीएल मछुआरे परिवारों को 50 हजार करोड़ रुपये का लाभ हुआ। इसलिए, सरकार के निवेश से भारत के कृषि किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को पचास गुना लाभ हुआ है।
- देश भर में 83 स्थानों पर सेंसर के साथ एक लाइटनिंग लोकेशन नेटवर्क स्थापित किया गया है। दामिनी लाइटनिंग अलर्ट मोबाइल ऐप मई 2020 में विकसित और जारी किया गया है।
- नाउकास्ट आधार (3 घंटे का पूर्वानुमान) के रूप में पूरे देश में 1022 स्टेशनों के लिए तूफान की चेतावनी दी गई है।
- क्लाउड एरोसोल इंटरेक्शन और वर्षा वृद्धि प्रयोग (CAIPEX) अवलोकन अभियान, वर्षा छाया क्षेत्र में प्राकृतिक और बीजयुक्त बादलों में बादल और वर्षा प्रक्रियाओं को समझने के लिए 2018-19 और 2019-20 के दौरान आयोजित किया गया था, और इसके परिणामस्वरूप 240 घंटे का अवलोकन हुआ।
- भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) ने पहली बार एक अर्थ सिस्टम मॉडल (ईएसएम) विकसित किया है। आईआईटीएम-ईएसएम भारत का पहला जलवायु

मॉडल होगा जिसने इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) 6वीं मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए आवश्यक युग्मित मॉडलिंग इंटरकंपेरिसन प्रोजेक्ट-चरण 6 (सीएमआईपी6) प्रयोगों में भाग लिया।

- भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के आकलन पर एक नई ओपन एक्सेस पुस्तक जून 2020 में प्रकाशित हुई है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से भारतीय क्षेत्र के लिए पहली जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट है और भारतीय उपमहाद्वीप, निकटवर्ती हिंद महासागर, हिमालय और क्षेत्रीय मानसून पर मानव-प्रेरित वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा करती है।
- हाल के 30 वर्षों के आंकड़ों (1989-2018) के आधार पर वर्षा परिवर्तन/रुझान और इसकी परिवर्तनशीलता पर राज्यवार रिपोर्ट तैयार की गई हैं।
- पूर्वानुमान प्रसार रणनीति का उन्नयन MoES ने जनता सहित सभी हितधारकों तक मौसम संबंधी जानकारी के प्रसार में भारी सुधार किया है।

कंप्यूटिंग सुविधा के साथ-साथ देश भर में अवलोकन नेटवर्क के विस्तार से देश में मौसम और जलवायु अनुसंधान को बेहतर बनाने में मदद मिली।

जीवंत ग्राम कार्यक्रम

सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में उत्तरी सीमा से लगे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में चयनित गांवों के व्यापक विकास के लिए 15 फरवरी, 2023 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में जीवंत ग्राम कार्यक्रम (वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम) को मंजूरी दे दी है।

कार्यक्रम में पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत, कौशल विकास और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और कृषि/बागवानी, औषधीय पौधों/जड़ी-बूटियों की खेती आदि सहित सहकारी समितियों के विकास के माध्यम से आजीविका सृजन के अवसर पैदा करने के लिए चयनित गांवों में हस्तक्षेप के केंद्रित क्षेत्रों की परिकल्पना की गई है। इसमें असंबद्ध गांवों को सड़क कनेक्टिविटी, आवास और गांव के बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा, टेलीविजन और दूरसंचार कनेक्टिविटी प्रदान करना भी शामिल है। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को चयनित गांवों में रहने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देना है।

0-10 कि.मी. की दूरी पर स्थित सभी जनगणना गांवों/कस्बों, अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में भूमि सीमा से सटे 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर पहली बस्ती से दूरी (हवाई दूरी), सड़क और पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खेल, पेयजल से संबंधित आवश्यक बुनियादी ढांचे में पहचाने गए अंतराल के लिए कार्य/परियोजनाएं। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के तहत स्वच्छता, आंगनवाड़ी, सामुदायिक केंद्र, लघु उद्योग आदि को मंजूरी दी गई है।

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहुल और स्पीति जिलों में उत्तरी सीमा से सटे ब्लॉकों के चुनिंदा गांवों को वीवीपी के तहत कवर किया गया है। चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों में उत्तरी सीमा से सटे ब्लॉकों के चुनिंदा गांवों को भी जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है।

अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए योजना

सरकार पहले से ही कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला मंत्रालय और बाल विकास और ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और कम सुविधा प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विशेष रूप से छह (6) केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाएं लागू करता है। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाएँ/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

(a) शैक्षिक सशक्तिकरण योजनाएं

1. प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
2. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
3. योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

(b) रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण योजनाएं

4. प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PMVIKAS)
5. अल्पसंख्यकों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम योजना।

(c) विशेष योजनाएं

6. जियो पारसी: भारत में पारसियों की जनसंख्या में गिरावट को उलटने के लिए एक योजना।

7. कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना।

(d) बुनियादी ढांचा विकास योजनाएं

8. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

स्वामित्व योजना

ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण (SVAMITVA) योजना को 'रिकॉर्ड' प्रदान करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण (SoI) के सहयोगात्मक प्रयासों से कार्यान्वित किया जा रहा है। कानूनी स्वामित्व अधिकार (संपत्ति कार्ड/स्वामित्व विलेख) जारी करने के साथ गांवों में बसे हुए क्षेत्रों में घर रखने वाले ग्रामीण घरेलू मालिकों को अधिकार। इस योजना के तहत भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि पार्सल की मैपिंग की जाती है। योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को SoI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। अब तक 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने SoI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

महिलाओं के स्वरोजगार के लिए योजनाएँ

सरकार ने महिलाओं के स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की हैं। कुछ पहलें इस प्रकार हैं:

- भारत सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।
- महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, 'स्टैंड-अप इंडिया' के तहत कुल ऋण का 81%, महिलाओं को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं।
- 'मुद्रा' (या प्रधान मंत्री की सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी) योजना के तहत, 68% ऋण रुपये तक के हैं। महिलाओं के स्वामित्व वाले और संचालित उद्यमों को 10 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लगभग 9.0 करोड़ महिलाएं लगभग 83 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं जो ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को कई नवीन और सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से जिम्मेदार तरीकों से बदल रही हैं, साथ ही संपार्श्विक मुक्त ऋण सहित सरकारी सहायता का भी लाभ उठा रही हैं।
- उद्यमिता पर विशेष ध्यान देते हुए स्टार्ट-अप इंडिया पहल के तहत महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को बड़ी संख्या में ऋण वितरित किए गए हैं।
- राष्ट्रीय कृषि बाजार या e-NAM, कृषि जिंसों के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, "किसान कॉल सेंटर" जो टेलीफोन कॉल पर किसानों के प्रश्नों का उनकी अपनी बोली में उत्तर देते हैं, किसान सुविधा जैसे मोबाइल एप्लिकेशन महिलाओं को बाजारों और विस्तार सेवाओं तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने या क्षतिपूर्ति करने में मदद करते हैं।
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम महिला सहकारी समितियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएँ खाद्यान्न प्रसंस्करण, वृक्षारोपण फसलें, तिलहन प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, डेयरी और पशुधन, कताई मिलों, हथकरघा और पावरलूम बुनाई से संबंधित गतिविधियों से निपटने वाली सहकारी समितियों में शामिल हैं।
- बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन महिलाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण, सामान्य श्रेणी के किसानों की तुलना में महिला किसानों, लाभार्थियों को अधिक सब्सिडी/सहायता प्रदान करता है। कृषि विपणन अवसंरचना घटक के तहत, महिलाएं कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन के तहत कृषि मशीनरी, उपकरण और उपकरणों की खरीद के लिए उच्च दरों पर सब्सिडी के लिए पात्र हैं।
- नागरिकों की पहुंच के भीतर सरकार-से-नागरिक ई-सेवाएं प्रदान करने के लिए, 5.2 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, इस प्रकार भौतिक सेवा वितरण आईसीटी बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। ये केंद्र पूरे देश में फैले हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रकार की डिजिटल सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे ग्रामीण डिजिटल उद्यमी तैयार होते हैं, जिनमें से 67,000 से अधिक महिला उद्यमी हैं।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना उन असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है जो किसी अन्य पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। महिलाओं सहित असंगठित श्रमिक, ज्यादातर घर आधारित श्रमिकों, सड़क

विक्रेताओं, मध्याह्न भोजन श्रमिकों, हेड लोडर, ईंट भट्ठा श्रमिक, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य-श्रव्य श्रमिक और इसी तरह के अन्य व्यवसाय में लगे हुए हैं, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये प्रति माह या उससे कम है और 18-40 वर्ष के प्रवेश आयु समूह से संबंधित हैं।

इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश में लागू योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई पहल की हैं। मंत्रालय 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए महिलाओं की सुरक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम शमिशन शक्तिश को अम्ब्रेला योजना के रूप में कार्यान्वित करता है। इसका उद्देश्य अधिक दक्षता, प्रभावशीलता और वित्तीय विवेक के लिए संस्थागत और अभिसरण तंत्र के माध्यम से मिशन मोड में महिलाओं की सुरक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हस्तक्षेप को मजबूत करना है।

मिशन शक्ति की अंब्रेला योजना में महिलाओं की सुरक्षा के लिए "संबल" और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए "सामर्थ्य" नामक दो उप-योजनाएँ हैं। 'सामर्थ्य' उप-योजना के तहत, एक नया घटक यानी हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन को केंद्र, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शामिल किया गया है। ऐसा माहौल बनाना जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें। एचईडब्ल्यू के तहत सहायता महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर और व्यावसायिक परामर्श/प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता, पिछड़े और आगे के लिंकेज तक पहुंच सहित उनके सशक्तिकरण और विकास के लिए विभिन्न संस्थागत और योजनाबद्ध सेट अप में मार्गदर्शन, लिंक और सहायता प्रदान करती है। ,

बालिकाओं की शिक्षा और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएँ इस प्रकार हैं:

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ: बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना का समग्र लक्ष्य बालिकाओं की उत्तरजीविता और सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनकी शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना है।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय: प्रारंभिक से माध्यमिक और बारहवीं कक्षा तक लड़कियों के सुचारु संक्रमण को सुनिश्चित करने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदायों और बीपीएल परिवारों से संबंधित हाशिए वाले समुदायों की लड़कियों (10-18 वर्ष) के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आवासीय सुविधाओं दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- लड़कियों के लिए उड़ान कार्यक्रम: उड़ान केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की एक परियोजना है जो ग्यारहवीं कक्षा में लड़कियों के लिए मुफ्त ऑनलाइन विज्ञान पाठ्यक्रमों के प्रावधान के माध्यम से प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में छात्राओं के कम नामांकन और स्कूली शिक्षा और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के बीच शिक्षण अंतर को संबोधित करती है। और बारहवीं.
- राष्ट्रीय साधन-सह-मेरिट योजना: ईडब्ल्यूएस से संबंधित लड़कियों को रुपये 1000/- प्रति माह नकद प्रोत्साहन के रूप में प्रदान करके स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों को रोकने की योजना।
- सुकन्या समृद्धि योजना: यह लड़कियों के माता-पिता के लिए एक बचत योजना है। यह योजना माता-पिता को अपनी बेटी की भविष्य की शिक्षा के लिए एक फंड बनाने की अनुमति देती है। सुकन्या समृद्धि खाता अन्य बचत योजनाओं की तुलना में अधिक ब्याज दर प्रदान करता है जो बालिकाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।

बच्चों के लिए योजनाएँ

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में बालिकाओं सहित बच्चों की बेहतरी के लिए पूर्वनिर्धारित लागत साझाकरण मानदंडों के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से विभिन्न योजनाएं लागू कर रहा है। इसमे शामिल है:

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) :**मिशन शक्ति की संबल उप-योजना के तहत बीबीबीपी योजना का उद्देश्य लिंग आधारित लिंग चयन उन्मूलन को रोकना, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना और बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना है। इस योजना का विस्तार बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेपों के माध्यम से देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए किया गया है, जो शून्य-बजट विज्ञापन पर केंद्रित है और उन गतिविधियों पर अधिक खर्च को प्रोत्साहित करती है जिनका जमीनी प्रभाव पड़ता है, जैसे लड़कियों के बीच खेल को बढ़ावा देना, आत्मरक्षा शिविर, निर्माण। लड़कियों के लिए शौचालय, विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग

मशीन और सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 (पीसी-पीएनडीटी अधिनियम, 1994) के बारे में जागरूकता और लड़कियों को कौशल प्रदान करना आदि।

- यह योजना 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेपों के लिए धन राज्य से जिलों तक भेजा जाता है। केंद्र सरकार पूरे भारत के आधार पर बीबीबीपी योजना लागू कर रही है। हालाँकि, पश्चिम बंगाल राज्य बीबीबीपी योजना लागू नहीं कर रहा है।
- सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 योजना: इस योजना का उद्देश्य पोषण सामग्री और वितरण में रणनीतिक बदलाव के माध्यम से बाल कुपोषण और मातृ अल्पपोषण की चुनौती का समाधान करने और स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा का पोषण करने वाली प्रथाओं को विकसित करने के लिए स्थितियां और एक अभिसरण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को संबोधित करना है। सक्षमआंगनवाड़ी के तहत घटकों को प्राथमिक कार्यक्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया है:
- पोषण और किशोरियों के लिए पोषण सहायता; प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष];
- आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना। आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत लाभार्थियों को कवर किया जाना है, अर्थात, 6 महीने - 6 वर्ष की आयु के बच्चे; आकांक्षी जिलों और एनईआर में गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं (पीडब्ल्यूएलएम) और किशोर लड़कियां (14-18 वर्ष)।
- पोषणअभियान

आंगनवाड़ी सेवाएं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत) पात्र लाभार्थियों को आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) के मंच के माध्यम से देश भर में निम्नलिखित छह सेवाएं प्रदान करती हैं:

- अनुपूरक पोषण (एसएनपी)
- प्री-स्कूल अनौपचारिक शिक्षा,
- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा,
- टीकाकरण,
- स्वास्थ्य जांच, और
- रेफरल सेवाएँ

छह सेवाओं में से तीन, अर्थात् टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं और एनएचएम और सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। आंगनवाड़ी सेवाएँ एक सार्वभौमिक स्व-चयन योजना है जो आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकन करने वाले सभी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत लाभार्थी 0-6 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं।

पोषण अभियान: पोषण अभियान का लक्ष्य सूचना एवं प्रसारण तकनीकी अनुप्रयोग, अभिसरण, सामुदायिक गतिशीलता, व्यवहार परिवर्तन और जन आंदोलन, क्षमता निर्माण, प्रोत्साहन और पुरस्कार और नवाचार जैसे घटकों के माध्यम से देश भर में कुपोषण के मुद्दों को संबोधित करना है। अभियान का उद्देश्य 0-6 वर्ष के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार करना भी है। पोषण अभियान कुपोषण के मुद्दे को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए अन्य चीजों के अलावा प्रौद्योगिकी और जन आंदोलन का लाभ उठाने वाले साझेदार मंत्रालयों के बीच अभिसरण पर केंद्रित है। फील्ड पदाधिकारियों द्वारा लगभग वास्तविक समय की रिपोर्टिंग और बेहतर एमआईएस का उद्देश्य योजना का सुचारू कार्यान्वयन और बेहतर सेवा वितरण है।

आंगनवाड़ी सेवाओं और पोषण अभियान के तहत पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत प्रयासों को पुनर्जीवित किया गया है और 'सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' (मिशन पोषण 2.0) के रूप में परिवर्तित किया गया है। इसका उद्देश्य पोषण सामग्री और वितरण में रणनीतिक बदलाव के माध्यम से बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना और स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा का पोषण करने वाली प्रथाओं को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए एक अभिसरण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

पोषण 2.0 मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चे के आहार मानदंड, मध्यम रूप से तीव्र कुपोषित/गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के उपचार और आयुष के माध्यम से कल्याण पर केंद्रित है। यह अभिसरण, शासन और क्षमता-निर्माण के स्तंभों पर आधारित है। पोषण अभियान आउटरीच के लिए प्रमुख स्तंभ है और इसमें पोषण संबंधी सहायता, आईसीटी हस्तक्षेप, मीडिया वकालत और अनुसंधान, सामुदायिक आउटरीच और जन आंदोलन से संबंधित नवाचारों को शामिल किया जाएगा। मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में पोषण की गुणवत्ता और परीक्षण में सुधार, त्वरित पर्यवेक्षण और प्रबंधन के लिए पूरक पोषण के

प्रावधानों की वास्तविक समय की निगरानी के संबंध में शासन में सुधार के लिए एक मजबूत आईसीटी सक्षम मंच 'पोषण ट्रैकर' के तहत सेवाओं का वितरण और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

अभियान के तहत सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल किया गया है और इस प्रकार समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए योजना को लागू किया जा रहा है।

- मिशन वात्सल्य योजना: मंत्रालय देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) और कानून के साथ संघर्ष में बच्चों (सीसीएल) के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों का समर्थन करने के लिए मिशन वात्सल्य योजना नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है। योजना के तहत स्थापित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल और परामर्श का समर्थन करते हैं। मंत्रालय नियमित रूप से राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के साथ संपर्क बनाए रखता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीसीआई किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) प्रावधानों के अनुसार देखभाल के मानकों का पालन करें।

नमक सहित मुख्य खाद्य पदार्थों का सुदृढ़ीकरण, संक्रमण नियंत्रण, पानी और स्वच्छता आदि जैसे अन्य उपायों के साथ-साथ आहार विविधीकरण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की अनुपूरण के अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने की रणनीतियों में से एक है। इसलिए, सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रसार को कम करने के लिए एनीमिया सहित कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न विभागों/मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सभी रणनीतियों पर जोर दिया जाता है। इनमें आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरण, कैल्शियम अनुपूरण, विटामिन-ए अनुपूरण, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का उपयोग आदि शामिल हैं। मंत्रालय ने पूरक पोषण कार्यक्रम के प्रशासन में डबल फोर्टिफाइड नमक सहित प्रासंगिक फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों (जहां भी आपूर्ति की जाती है) का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह जारी की है।

इसके अलावा, पोषण 2.0 के तहत, आहार विविधता, खाद्य सुदृढ़ीकरण, ज्ञान की पारंपरिक प्रणालियों का लाभ उठाने और बाजरा के उपयोग को लोकप्रिय बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पोषण 2.0 के तहत पोषण जागरूकता रणनीतियों का उद्देश्य सूक्ष्म पोषक तत्वों के सेवन में कमी सहित आहार संबंधी अंतराल को पाटने के लिए स्थानीय, पौष्टिक खाद्य पदार्थों पर ध्यान देने के साथ स्थायी स्वास्थ्य और कल्याण विकसित करना है। इसके अलावा, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रतिरक्षा और एनीमिया का प्रबंधन करने के लिए तथा स्वास्थ्य, कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के भोजन में स्थानीय खाद्य पदार्थ और ताजा उपज (हरी सब्जियां, फल, औषधीय पौधे और जड़ी-बूटियां), फोर्टिफाइड चावल और सप्ताह में कम से कम एक बार बाजरा शामिल करना अनिवार्य है।

एनीमिया की समस्या के समाधान के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में फोर्टिफाइड चावल (आयरन, विटामिन बी-12 और फोलिक एसिड से भरपूर) की आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं में। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, फोर्टिफाइड चावल सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित किया जाता है।

न्याय विकास पोर्टल

कोर्ट हॉल और आवासीय इकाइयों और 3 नए घटकों की प्रगति और पूर्णता पर डेटा एकत्र करने के लिए इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर की तकनीकी सहायता से न्याय विकास ऑनलाइन निगरानी प्रणाली विकसित की गई है; वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष। न्याय विकास वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया गया है। इस उद्देश्य के लिए, निर्माण परियोजनाओं की निगरानी के लिए "न्याय विकास" नामक एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था।

राज्य सरकारों ने चल रही और पूर्ण परियोजनाओं से संबंधित डेटा/जानकारी दर्ज करने और अपलोड करने के लिए प्रत्येक परियोजना के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी और सर्वेक्षक और मॉडरेटर नामित किए हैं। न्याय विकास मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके परियोजनाओं की जियोटैगिंग से न्यायिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की बेहतर निगरानी में मदद मिली है। राज्यों में उपयोगकर्ता वेब पोर्टल के माध्यम से डेटा दर्ज करते हैं और जियो-टैगिंग के साथ मोबाइल ऐप के माध्यम से तस्वीरें अपलोड करते हैं। उन्नत सुविधाओं के साथ "न्याय विकास संस्करण 2.0" अप्रैल, 2020 में लॉन्च किया गया है।

अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप का नया संस्करण अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल है और आईओएस फोन के साथ-साथ एंड्रॉइड सिस्टम पर भी चलता है। मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग राज्य सर्वेक्षकों द्वारा स्थानिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से फंसे आयामों के माध्यम से दूरस्थ स्थानों पर जियो-टैग और तस्वीरें अपलोड करने के लिए किया जा रहा है। पोर्टल में डेटा विश्लेषण और विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग किया गया है।

बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा

जनगणना रिपोर्ट-2011 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या 10.38 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। भारत सरकार के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान (2011-2036) पर तकनीकी समूह की जुलाई 2020 में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2036 में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी 22.7 करोड़ यानी कुल भारत की जनसंख्या का 15% होगी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) की अंब्रेला योजना में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, आश्रय, कल्याण आदि प्रदान करने के घटक शामिल हैं। ऐसे घटकों में से एक के तहत, अर्थात्वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएसआरसी), वरिष्ठ नागरिकों के घरों के संचालन और रखरखाव के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुदान सहायता दी जाती है। जहां निर्धन वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल, मनोरंजन के अवसर आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) के तहत, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले या रु. 15000/- मासिक आय और उम्र से संबंधित विकलांगता से पीड़ित वृद्धजनों को निःशुल्क निर्वाह योग्य उपकरण प्रदान करती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डरलाइन/राष्ट्रीय हेल्पलाइन (NHSC) वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए दुर्व्यवहार और बचाव के मामलों में मुफ्त जानकारी, मार्गदर्शन, भावनात्मक समर्थन और क्षेत्रीय हस्तक्षेप प्रदान करती है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की पूरी तरह से वित्त पोषित केंद्र प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के तहत, 200/- रुपये की दर से मासिक पेंशन दी जाती है। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के 60-79 वर्ष की आयु वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों को प्रति माह प्रति लाभार्थी भुगतान किया जा रहा है। 80 वर्ष की आयु होने पर पेंशन की दर प्रति लाभार्थी 500/- रूपये प्रति माह कर दी जाती है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के बराबर कम से कम राशि की टॉप अप राशि प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि लाभार्थियों को उचित स्तर की सहायता मिल सके। वर्तमान में, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश NSAP के IGNOAPS के तहत प्रति लाभार्थी 50/- रुपये से लेकर 3000/- प्रति माह रुपये तक की टॉप-अप राशि जोड़ रहे हैं। । एनएसएपी पेंशन योजनाओं के तहत सहायता योजना के तहत लाभार्थियों की योजना-वार, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार सीमा तक स्वीकृत की जाती है। वर्तमान में, देश में IGNOAPS के तहत लाभार्थियों की संख्या लगभग 2.21 करोड़ है और इस योजना ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 100% संतृप्ति हासिल कर ली है। यदि एनएसएपी पेंशन योजनाओं के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सीमा से अधिक पात्र लाभार्थी हैं तो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपने स्रोतों से पेंशन प्रदान करने का विकल्प है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली के विभिन्न स्तरों यानी प्राथमिक, माध्यमिक और आउटरीच सेवाओं सहित तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से 2010-11 में बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई) शुरू किया। कार्यक्रम के दो घटक हैं, अर्थात् राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) यानी, जिला अस्पतालों (डीएच), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), उप-केंद्र/स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल सेवा वितरण और तृतीयक घटक यानी, ये सेवाएं भारत के 18 राज्यों में 19 मेडिकल कॉलेजों में स्थित क्षेत्रीय जराचिकित्सा केंद्रों (आरजीसी) और दो राष्ट्रीय एजिंग केंद्रों (एनसीए) के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं, जिनमें से एक एम्स, अंसारी नगर, नई दिल्ली में और दूसरा मद्रास में है। मेडिकल कॉलेज, चेन्नई. इसमें वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों पर अनुसंधान भी शामिल है। इसके अलावा, सरकार ने 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों) को कवर करने के लिए आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) शुरू की, जो माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कवरेज प्रदान करती है। आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई के लॉन्च के साथ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

(RSBY) और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (SCHIS) को इसमें शामिल कर दिया गया है। आरएसबीवाई और एसएचआईएस के सभी नामांकित लाभार्थी परिवार आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई के तहत लाभ के हकदार हैं।

गोबरधन पहल के अच्छे परिणाम और बायोगैस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन

केंद्र सरकार की गोबरधन पहल, जिसका उद्देश्य ष्संपूर्ण सरकारष दृष्टिकोण का उपयोग करके "अपशिष्ट को धन" में बदलना है, ने कई नीतियों के माध्यम से संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी)/बायोगैस के लिए एक पोषण पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर समर्थकारी और आकर्षक लाभ के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना और अच्छे परिणाम प्राप्त करना शुरू कर दिया है। पोर्टल को देश भर में कार्यात्मक/निर्माणाध ीन/अभी तक शुरू करने के लिए बायोगैस/संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए लॉन्च किया गया था।

गोबरधन पहल ने बायोगैस/सीबीजी क्षेत्र के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार किया है, जैसा कि लॉन्च होने के तुरंत बाद पोर्टल पर 100 से अधिक निर्माणाधीन सीबीजी संयंत्रों के पंजीकरण से स्पष्ट है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सीबीजी/बायोगैस उद्योग फलने-फूलने लगा है और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो के ऊर्जा मिश्रण में जबरदस्त भूमिका निभाएगा। भारत सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से उद्योग की वृद्धि और सफलता और बायोगैस/सीबीजी क्षेत्र को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी के रूप में स्थापित करने के लिए लगातार काम कर रही है।

हरित भारत मिशन

राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत आठ मिशनों में से एक है। मिशन के तहत वन/वृक्ष आवरण को बढ़ाने और मौजूदा वन की गुणवत्ता में सुधार के लिए वन और गैर-वन भूमि पर 10 मिलियन हेक्टेयर का लक्ष्य है। राज्यों द्वारा प्रस्तुत परिप्रेक्ष्य योजनाओं के आधार पर और धन की उपलब्धता के अनुसार, अब तक सत्रह राज्य अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब , सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को जीआईएम के तहत लिया गया है।

राज्यों को उनकी परिप्रेक्ष्य योजना और जीआईएम के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार संचालन की वार्षिक योजना के मूल्यांकन के बाद जीआईएम के तहत वित्त पोषण के लिए विचार किया जाता है। तेलंगाना राज्य ने अब तक जीआईएम के तहत अपनी परिप्रेक्ष्य योजना और संचालन की वार्षिक योजना प्रस्तुत नहीं की है और इसलिए जीआईएम के तहत राज्य को कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग, भारत सरकार ने योजना के भीतर प्रासंगिकता, प्रभावशीलता, दक्षता, स्थिरता, प्रभाव और समानता जैसे पहलुओं पर 2020-21 में हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन का मूल्यांकन किया है। और योजना को जारी रखने की सिफारिश की है

राष्ट्रीय वन नीति

भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI), देहरादून, मंत्रालय के तहत एक संगठन, 1987 से द्विवार्षिक रूप से वन क्षेत्र का मूल्यांकन करता है और निष्कर्ष भारत राज्य वन रिपोर्ट (ISFR) में प्रकाशित किए जाते हैं। ISFR 2021 के आकलन के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। ISFR 2019 के आकलन की तुलना में कुल वन और वृक्ष आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय वन नीति के अधिदेश के अनुसार मंत्रालय विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे कि हरित भारत मिशन, वन अग्नि रोकथाम और प्रबंधन योजना, CAMPA, नगर वन योजना और संबंधित मंत्रालयों की अन्य योजनाओं के तहत वन और वृक्ष आवरण को बढ़ाने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम) गतिविधियाँ वित्तीय वर्ष 2015-16 में शुरू की गईं।

मंत्रालय ने देश में नष्ट हुए वनों और आसपास के क्षेत्रों के पुनर्जीवन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम भी लागू किया है। राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम का अब हरित भारत मिशन में विलय हो गया है।

मंत्रालय वर्ष 2020 से नगर वन योजना लागू कर रहा है, जिसमें प्रतिपूरक वनरोपण निधि (CAMPA) के तहत उपलब्ध धनराशि के तहत 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान देश में 600 नगर वैन और 400 नगर वाटिका के निर्माण की परिकल्पना की गई है। नगर वन योजना का उद्देश्य शहरी और उप-शहरी क्षेत्रों में जैविक विविध

ता सहित हरित आवरण को बढ़ाना, पारिस्थितिक लाभ प्रदान करना और शहरवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (सीएएफ अधिनियम) और सीएएफ नियम, 2018 के अनुसार प्रतिपूरक वनरोपण निधि (CAMPA फंड) का उपयोग राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के प्रावधानों के अनुसार विकासात्मक परियोजनाओं के लिए वन भूमि के विचलन के कारण वन और वृक्ष आवरण के नुकसान की भरपाई के लिए अनुमोदित वार्षिक संचालन योजना के अनुसार प्रतिपूरक वनरोपण करने के लिए किया जा रहा है।

संबंधित मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय बांस मिशन, कृषि वानिकी पर उप-मिशन आदि के तहत और विभिन्न विभागों, गैर-राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की योजनाओं के तहत भी वनीकरण गतिविधियां शुरू की जाती हैं। सरकारी संगठन, नागरिक समाज, कॉर्पोरेट निकाय आदि बहुविभागीय प्रयासों से देश में वन आवरण के संरक्षण और वृद्धि में अच्छे परिणाम मिले हैं।

मंत्रालय ने अंतर-मंत्रालयी परामर्श सहित विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद राष्ट्रीय वन नीति का मसौदा तैयार किया है और 2018 में इसे सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। मसौदा नीति में वन प्रबंधन में जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन उपायों को एकीकृत करने की सिफारिश की गई है, जिसमें वन आश्रित समुदायों द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन भी शामिल है।

पश्चिमी घाट की सुरक्षा के लिए योजनाएँ

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पश्चिमी घाट राज्यों सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन, वन्यजीव और पर्यावरण के संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू कर रहा है। इनमें राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, वन्यजीव आवास का एकीकृत विकास, जंगल की आग की रोकथाम और प्रबंधन, प्रोजेक्ट टाइगर और हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के तहत धनराशि का उपयोग पश्चिमी घाट में वन और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए भी किया जाता है।

***

रिपोर्ट / सूचकांक

निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट, 2022

नीति आयोग वर्ष 2022 के लिए भारत के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI) का तीसरा संस्करण जारी कर रहा है।

रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2012 में प्रचलित वैश्विक व्यापार संदर्भ के बीच भारत के निर्यात प्रदर्शन पर चर्चा की गई है, इसके बाद देश के क्षेत्र-विशिष्ट निर्यात प्रदर्शन का अवलोकन किया गया है। रिपोर्ट देश में हमारे जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है और देश में व्यापारिक निर्यात का जिला-स्तरीय विश्लेषण करती है।

EPI एक व्यापक उपकरण है जो भारत में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की निर्यात तैयारियों को मापता है। किसी देश में आर्थिक वृद्धि और विकास को अनुकरण करने के लिए निर्यात महत्वपूर्ण हैं, जिसके लिए निर्यात प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझना आवश्यक है। सूचकांक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ताकत और कमजोरियों की पहचान करने के लिए निर्यात-संबंधित मापदंडों का व्यापक विश्लेषण करता है। सूचकांक के लिए कार्यप्रणाली विकसित करना एक विकासशील प्रक्रिया है जिसमें लगातार हितधारकों की प्रतिक्रिया शामिल होती है। इस प्रकार, इस संस्करण में प्रकाशित परिणाम और रैंकिंग सीधे पिछले संस्करणों से तुलनीय नहीं हैं, हालांकि EPI, अपनी अंतर्दृष्टि के साथ, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नीतिगत बदलावों में सहायता करना जारी रखता है जो उनकी विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रासंगिक हैं।

EPI चार स्तंभों - नीति, व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र, निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र और निर्यात प्रदर्शन - में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करता है। प्रत्येक स्तंभ उप-स्तंभों से बना है, जो प्रासंगिक संकेतकों का उपयोग करके राज्य के प्रदर्शन को कैप्चर करता है।

- नीति स्तम्भ राज्य और जिला स्तर पर निर्यात-संबंधित नीति पारिस्थितिकी तंत्र के साथ-साथ पारिस्थितिकी तंत्र के आसपास के संस्थागत ढांचे को अपनाने के आधार पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।
- बिजनेस इकोसिस्टम किसी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में मौजूदा कारोबारी माहौल के साथ-साथ व्यापार-सहायक बुनियादी ढांचे की सीमा और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की परिवहन कनेक्टिविटी का आकलन करता है।
- निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र निर्यातकों को प्रदान किए गए व्यापार समर्थन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में अनुसंधान और विकास के प्रसार के साथ-साथ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में निर्यात-संबंधी बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- निर्यात प्रदर्शन एक आउटपुट-आधारित संकेतक है जो पिछले वर्ष की तुलना में किसी राज्य के निर्यात की वृद्धि का आकलन करता है और वैश्विक बाजारों पर इसके निर्यात एकाग्रता और पदचिह्न का विश्लेषण करता है।

रिपोर्ट नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा जारी की जाएगी

अपनी रैंकिंग और स्कोरकार्ड के साथ, रिपोर्ट का उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की निर्यात तैयारियों की एक व्यापक तस्वीर पेश करना है। यह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालता है और प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना को बनाए रखने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच सहकर्मी-शिक्षण को प्रोत्साहित करता है। राज्यों के बीच और राज्य तथा केंद्र के बीच सहयोग में सुधार करके, भारत निरंतर आर्थिक विकास हासिल करने की आकांक्षा रख सकता है और राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी विविधता का लाभ उठा सकता है।

वैश्विक तापन पर अध्ययन

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में 'भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन' प्रकाशित किया है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का व्यापक मूल्यांकन शामिल है। रिपोर्ट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

1. 1901-2018 के दौरान भारत का औसत तापमान लगभग 0.7oC बढ़ गया है।
2. 1950-2015 के दौरान दैनिक चरम वर्षा की आवृत्ति (प्रति दिन 150 मिमी से अधिक वर्षा की तीव्रता) में लगभग 75% की वृद्धि हुई।
3. 1951-2015 के दौरान भारत में सूखे की आवृत्ति और स्थानिक सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
4. पिछले ढाई दशकों (1993-2017) में उत्तरी हिंद महासागर में समुद्र के स्तर में प्रति वर्ष 3.3 मिमी की वृद्धि हुई।
5. 1998-2018 के मानसून के बाद के मौसम के दौरान अरब सागर के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफानों की आवृत्ति बढ़ गई है।

अखिल भारतीय बाघ अनुमान-2022: विस्तृत रिपोर्ट जारी

1973 में, भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर, एक महत्वाकांक्षी, समग्र संरक्षण परियोजना शुरू की, जिसका उद्देश्य देश की बाघ आबादी की सुरक्षा और जैव विविधता का संरक्षण करना था। पिछले पचास वर्षों में, प्रोजेक्ट टाइगर ने बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए सराहनीय सफलता हासिल की है। प्रारंभ में 18,278 किमी2 में फैले नौ बाघ अभ्यारण्यों को कवर करते हुए, यह परियोजना 75,796 किमी2 में फैले 53 अभ्यारण्यों के साथ एक उल्लेखनीय उपलब्धि में विकसित हुई है, जो प्रभावी रूप से भारत के कुल भूमि क्षेत्र के 2.3% को शामिल करती है। भारत में वर्तमान में दुनिया की लगभग 75% जंगली बाघ की आबादी रहती है।

1970 के दशक में बाघ संरक्षण का पहला चरण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को लागू करने और बाघों और उष्णकटिबंधीय जंगलों के लिए संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना पर केंद्रित था। हालाँकि, 1980 के दशक में व्यापक अवैध शिकार के कारण गिरावट देखी गई। जवाब में, सरकार ने 2005 में दूसरे चरण की शुरुआत की, जिसमें बाघ संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए परिदृश्य-स्तरीय दृष्टिकोण, सामुदायिक भागीदारी और समर्थन, सख्त कानून प्रवर्तन लागू करना और वैज्ञानिक निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करना शामिल था। इस दृष्टिकोण से न केवल बाघों की आबादी में वृद्धि हुई, बल्कि इसके कई महत्वपूर्ण परिणाम भी हुए, जिनमें अक्षुण्ण महत्वपूर्ण कोर और बफर क्षेत्रों का निर्धारण, नए बाघ अभयारण्यों की पहचान और बाघ परिदृश्यों और गलियारों की पहचान शामिल थी।

निगरानी अभ्यास से वन कर्मचारियों में वैज्ञानिक सोच विकसित हुई और प्रौद्योगिकी के उपयोग से डेटा संग्रह और विश्लेषण में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई। भारत ने प्रभावी पारिस्थितिक और प्रबंधन-आधारित रणनीतियों को सक्षम करते हुए, जीवविज्ञान और इंटरकनेक्टिविटी के आधार पर बाघों के आवासों को पांच प्रमुख परिदृश्यों में वर्गीकृत किया है।

बाघों की उपस्थिति के स्थानिक प्रतिरूप में महत्वपूर्ण बदलाव और 2018 में अद्वितीय बाघ देखे जाने की संख्या 2461 से बढ़कर 2022 में 3080 हो गई है, अब बाघों की 3/4 से अधिक आबादी संरक्षित क्षेत्रों में पायी जाती है।

कैमरा-ट्रैप्ड और गैर-कैमरा-ट्रैप्ड बाघ उपस्थिति क्षेत्रों दोनों से भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा किए गए डेटा का आगे का विश्लेषण, बाघों की आबादी की ऊपरी सीमा 3925 और औसत संख्या 3682 बाघ होने का अनुमान है। प्रति वर्ष 6.1% की सराहनीय वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है।

मध्य भारत और शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में बाघों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र राज्यों में।

हालाँकि, पश्चिमी घाट जैसे कुछ क्षेत्रों में स्थानीयकृत गिरावट का अनुभव हुआ, जिससे लक्षित निगरानी और संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता पड़ी।

मिजोरम, नागालैंड, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश सहित कुछ राज्यों ने बाघों की छोटी आबादी के साथ चिंताजनक रुझान की सूचना दी है।

बाघों की सबसे बड़ी आबादी 785 मध्य प्रदेश में है, इसके बाद कर्नाटक (563) और उत्तराखंड (560), और महाराष्ट्र (444) हैं।

विभिन्न बाघ अभ्यारण्यों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि अन्य को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 35% बाघ अभ्यारण्यों में तत्काल सुरक्षा उपायों, आवास बहाली, खुरदार वृद्धि और उसके बाद बाघों के पुनरुत्पादन की आवश्यकता है।

पारिस्थितिक अखंडता को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण-अनुकूल विकास एजेंडे को दृढ़ता से जारी रखने, खनन प्रभावों को कम करने और खनन स्थलों का पुनर्वास करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन को मजबूत करना, अवैध शिकार विरोधी उपायों को तेज करना, वैज्ञानिक सोच और प्रौद्योगिकी-संचालित डेटा संग्रह को नियोजित करना और मानव-वन्यजीव संघर्ष को संबोधित करना देश की बाघ आबादी की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं।

भारत के प्रोजेक्ट टाइगर ने पिछले पांच दशकों में बाघ संरक्षण में जबरदस्त प्रगति की है, लेकिन अवैध शिकार जैसी चुनौतियाँ अभी भी बाघ संरक्षण के लिए खतरा बनी हुई हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत के बाघों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बाघों के आवास और गलियारों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य परीक्षा के लिए तथ्य और कीवर्ड

- सरकार खेती और किसानों पर सालाना 6.5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च कर रही है।
- भारत और पनामा ने चुनावी सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- अटल इनोवेशन मिशन ने बायर के सहयोग से श्एटीएल इंडस्ट्री विजिटश लॉन्च किया।
- सहकार से समृद्धि
- सरकार और सहकार मिलकर विकसित भारत के सपने को दोगुनी ताकत देंगे।
- विकसित और आत्मनिर्भर भारत
- अमृत काल: जीवंत भारत के लिए सहयोग के माध्यम से समृद्धि
- जीएसटी/6 दृष्टिकोण के साथ छठा जीएसटी दिवस: सरलीकृत कर,समग्र विकास

***

THE CORE IAS

OUR CLASSROOM RESULTS NOT OF INTERVIEW

THE CORE IAS

Scan here for Testimonial

103, B-5/6 II Floor, Himalika Commercial Complex Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 09

53/18, Old Rajinder Nagar, New Delhi, 110060